अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

❑ मूल्य : 5.00
❑ अंक : 04
❑ 1-15 अक्तूबर, 2013
❑ वर्ष : 37

सत्य की खोज

उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों, तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों, तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी।

(12 नवम्बर, 1909) –महात्मा गांधी

यह राजनीति तो गिर रही है

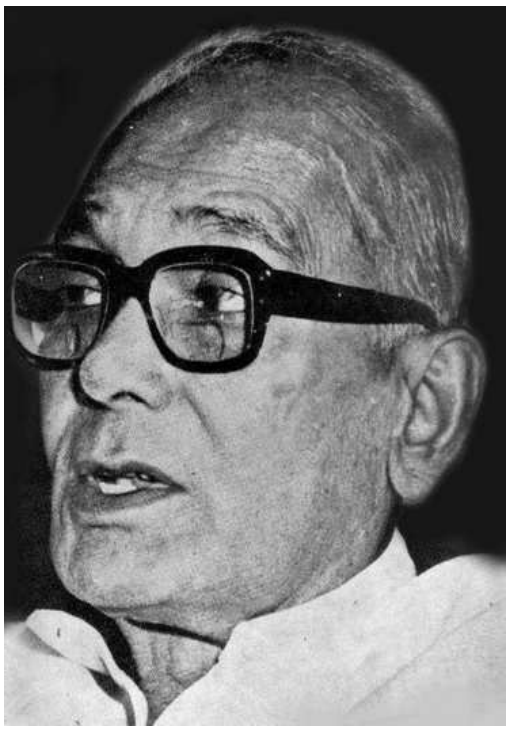

इस सत्ता और दलगत राजनीति से आज भी जो लोग आशा रखते हैं, वे तो सूखी हड्डियां चूस रहे हैं और अपने ही रक्त का आस्वादन कर तृप्त हो रहे हैं। यह राजनीति तो गिर रही है, आगे और भी गिरेगी। टूट रही है, और भी टूटेगी, फूटेगी, छिन्न-भिन्न हो जायेगी। तब इसके तलबे के ऊपर एक नयी बुनियाद से नयी राजनीति जनमेगी, जो इससे सर्वथा भिन्न होगी। नाम भी उसका भिन्न होगा; वह लोकनीति होगी, राजनीति नहीं।

('मेरी विचार यात्रा') –जयप्रकाश नारायण

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत

वर्ष : 37, अंक : 04
1-15 अक्तूबर, 2013

सर्व सेवा संघ
द्वारा प्रकाशित
अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

संपादक
बिमल कुमार
मो. 9235772595
प्रसार व्यवस्थापक
उमेश कुमार

मूल्य : पांच रुपये
शुल्क
वार्षिक : 100 रुपये
आजीवन : 1,000 रुपये

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-221 001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
sarvodayavns@yahoo.co.in
Website : sssprakashan.com

विज्ञापन दर
पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये
आधा पृष्ठ : 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

अंदर के पृष्ठों पर...

1. गांधीजी हमसे पूछ... 2
2. गांधी-जे.पी. की निरंतरता... 3
3. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गांधी... 4
4. रचनात्मक कार्यकर्ताओं से... 6
5. यह तो गांधीजी का... 9
6. सच जहां से भी मिले... 11
7. उत्तराखंड : विकास ने... 13
8. अब दूसरी तबाही की... 15
9. सर्व सेवा संघ की अपील... 16
10. स्वदेशी को अपनायें... 17
11. रचना समिति का कार्य... 18
12. जी.डी. अग्रवाल... 19
13. तरुणाई की उतुंगतम... 20

गांधीजी हमसे पूछ रहे हैं

❑ विनोबा

गांधीजी ने 1908 में 'हिन्दस्वराज्य' नाम की पुस्तक लिखी है। कलकत्ता कांग्रेस हुई 1906 में और वहां स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। उसके पहले हमारे लोग कांग्रेस में रहकर सरकार से प्रार्थना करते थे कि हमें फलाना दुख है, उसका आप निवारण कीजिए। लेकिन कांग्रेस ने, दादा भाई नौरोजी ने जाहिर किया कि छुटपुट दुख का निवारण करने से कुछ नहीं होता। हमारे दुख का अंत तब होगा जबकि स्वराज्य आयेगा। क्यों कि हम पराधीनता में फँसे हुए हैं। 1906 में यह जाहिर हुआ। उसके बाद 1908 में सरकार ने जोरदार दबाव डाला। उसमें देश के बहुत सारे लोग और लोकमान्य तिलक वगैरह गिरफ्तार हुए।

उस वक्त महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। उस वक्त उन्होंने 'हिन्दस्वराज्य' पुस्तक लिखी। उसमें यह है कि हिन्दस्वराज्य का नमूना कैसा होगा? हम लोग जो स्वराज्य चाहते हैं उसका स्वरूप क्या होगा? उस पुस्तक के अंत में उन्होंने लिखा कि इस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए मेरा जीवन समर्पण होगा। उसके भगवान साक्षी हैं। यह 1908-1909 की बात है। स्वराज्य 1047 में मिला तो 38-39 साल तक वे लगातार काम करते रहे, उसके बाद स्वराज्य मिला। स्वराज्य मिलने के बाद हिन्दू-मुसलमान झगड़े वगैरह चले। तब महात्मा गांधी स्वराज्य-आनन्द का अनुभव करने के लिए दिल्ली नहीं गये। वे नोआखाली वगैरह में घूमते रहे। बाद में जब दिल्ली गये तब वहां उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था क्यों कि वे हिन्दू-मुसलमानों को एक करना चाहते थे। आखिर उनको एक हिंदू ने गोली से मारा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्वराज्य की प्रतिज्ञा 1908 में की और चालीस साल उसके पीछे रहे। उसमें देश कई दफा पीछे हटा, कई दफा देश में निरुत्साह आया। लेकिन गांधीजी ने अपना प्रयत्न ढीला नहीं होने दिया। यह बहुत बड़ा उज्ज्वल उदाहरण हमारे सामने है।

आज महात्मा गांधी का जन्म-दिन है। उनका जन्म-दिवस हर साल मनाया जाता है। वह हमको प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुए कई साल हो गये। लेकिन हम समझते हैं कि आज महात्मा गांधी हमारे बीच हैं और पूछ रहे हैं कि बच्चो! तुम्हारे सबके लिए हमने चालीस-पचास साल तक मेहनत की और बहुत परिश्रम के अंत में स्वराज्य प्राप्त किया तो अब तुम कैसे हो? क्या सब मिलकर प्रेम से रहते हो, तुम्हरा द्वेष-झगड़ा मिट गया है, जाति-भेद, ऊँच-नीच भेद सब खतम कर दिये हैं, छूत-अछूत भेद मिटा दिये हैं, भाषा और धर्म के झगड़े छोड़ दिये हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुम लोगों ने आलस्य छोड़ दिया है। मैंने सिखाया था कि बच्चा-बच्चा सूत काते, एक मनुष्य भी आलसी न रहे, सब काम में लग जायं। ऐसा तुम करते हो? एक-दूसरे को सहयोग करते हो? भगवान का नाम हमेशा लेते हो? हमने सबको प्रार्थना सिखायी थी, प्रार्थना के स्थान से ही हम परमात्मा के पास गये। तुम लोग भी भगवान का स्मरण करते हो? शराब खोरी आदि व्यसन छोड़ दिये? घर-घर में चरखा रखा होगा और सूत कातते होंगे। उस सूत का कपड़ा पहनते होंगे, कोर्ट में कभी नहीं जाते होंगे। यह सब काम हमने सबको सिखाया था। आपस-आपस में न्याय करो और एक-दूसरे का समाधान करो। बहनों को भाइयों के बराबर काम करना चाहिए। ऐसे कई सवाल वे हमसे पूछते हैं। इसका उत्तर हम क्या दें? वे भारत से बहुत आशा रखते थे। लोग उनको यूरोप, अमेरिका में बुलाते थे, तो वे कहते थे कि भारत में काम पूरा किये बिना मैं कहीं कैसे जाऊं? जो गुण मैं अपने देशवासियों को नहीं समझा सकूंगा, वह मैं बाहरवालों को कैसे समझाऊंगा? इस तरह वे अपने लिए बहुत आशा रखते थे। गीता और रामायण के वे भक्त थे। निरंतर गीता का पारायण करते थे और हमेशा राम-नाम लेते थे। आखिर में भी वे राम-नाम लेते हुए ही गये। वे सबको समान प्यार करते थे। चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। किसी के साथ भेद नहीं था। सबको मानव की दृष्टि से देखते थे और आशा करते थे कि भारत सारी दुनिया को रास्ता दिखायेगा।

(प्रार्थना-प्रवचन से) **–प्रस्तुति : बद्रीनाथ सहाय**

संपादकीय

गांधी-जेपी की निरंतरता

संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद, राजनीतिक दलों के दायरे के बाहर, लोक आंदोलन चलते रहे हैं। इन लोक आंदोलनों के माध्यम से लोकशक्ति का प्रकटीकरण बार-बार होता रहा है।

दूसरी बात यह कि प्रत्येक आंदोलन के दौर में, जन-मानस में यह बात भी आती है कि ये आंदोलन, गांधी और जेपी की कड़ी में ही आगे के आंदोलन हैं। इस प्रकार ये आंदोलन अपनी शक्ति तथा अपना नैतिक औचित्य गांधी-जेपी से भी ग्रहण करते हैं। इन आंदोलनों के नेतृत्व में लोग गांधी एवं जेपी की छवि देखना चाहते हैं।

गांधी और जेपी की प्रासंगिकता इस बात में ही निहित है कि आज के आंदोलनों को गांधी-जेपी की निरंतरता के रूप में देखा जाता है तथा उसके नेतृत्व में गांधी-जेपी की छवि को तलाशा जाता है।

इसी संदर्भ में हमें गांधी-जेपी से निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। आज के विश्व पर अगर हम नजर डालें, तो पायेंगे कि पूंजीवाद के विकल्प में अगर कोई विचार आज भी ठोस आधार प्रदान करता है तो वह गांधी-जेपी विचार की निरंतरता ही है।

पूंजीवाद के विकल्प में जो दूसरे विचार आये थे, उनमें राजसत्ता की भूमिका ही अहम् थी। उनसे भी श्रेणीबद्ध समाज मजबूत हो रहे थे, तथा एक नये 'मैनेजर' वर्ग का प्रभुत्व बढ़ रहा था। लोक की सत्ता एवं लोक के स्वराज्य का उसमें कोई स्थान नहीं था। इसी कारण उनकी वैकल्पिक व्यवस्था से पूंजीवाद के वास्तविक विकल्प को विकसित होने की कोई संभावना नहीं थी। आम आदमी अपने को उस व्यवस्था से भी उतना ही कटा हुआ, बहिष्कृत हुआ पाता था, जितना पूंजीवादी व्यवस्था में।

दूसरी ओर गांधीजी का विचार, जिसे विनोबा एवं जेपी ने बनाये रखा, राजसत्ता केन्द्रित नहीं थी। राजसत्ता का अंतिम बल शस्त्र बल है, सैन्य बल है तथा दण्डशक्ति है। अहिंसक समाज के निर्माण की सम्भावना राजसत्ता द्वारा की ही नहीं जा सकती है। इसलिए जो अहिंसक समाज के निर्माण की बात करते हैं, उन्हें लोकसत्ता के निर्माण के काम से ही जुड़ना होगा। जन-आंदोलनों से जब लोकशक्ति प्रकट होती है, तब उसमें लोकसत्ता का भी भास होता है। यह लोकशक्ति एवं लोकसत्ता, शस्त्र बल आधारित नहीं होती। बल्कि लोक के नैतिक बल, अहिंसक बल तथा सत्य के लिए कष्ट सहने के बल से बनती है। इसी कारण हर जन-आंदोलन में लोग गांधी एवं जेपी की निरंतरता देखना चाहते हैं।

गांधीजी के विचार का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू यह था कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात गांधीजी करते थे उसके केन्द्र में मनुष्य था। व्यवस्था से कटा हुआ एवं बहिष्कृत मनुष्य पूंजीवाद की देन है। इसलिए पूंजीवाद के विकल्प की व्यवस्था तभी सच्चा विकल्प दे पायेगी जब उसके केन्द्र में व्यक्ति तथा व्यक्ति का स्थानीय परिवेश हो। व्यक्ति न तो अपने जीविकोपार्जन के साधन से विलग किया जाये, न ही अपनी अंतरात्मा की सत्ता से विलग किया जाये और न ही किसी एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण हो। इसी कारण शरीर-श्रम, स्वदेशी एवं ट्रस्टीशिप के विचार, वैकल्पिक व्यवस्था के आधार बन सकते हैं। जितना महत्त्व इनका गांधीजी के जीवनकाल में था, उससे अधिक महत्त्व इन विचारों का आज है। इसी प्रकार उपभोग के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण व्यक्ति, समष्टि एवं प्रकृति तीनों को एक संतुलन में खड़ा कर देता है। वर्तमान विकास की भ्रामक अवधारणा का भी वह एक विकल्प है।

पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ एवं लालच को नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर वास करने वाले सभी प्राणियों के जीवन को उस सीमा तक उपभोग करने की मर्यादा का पालन करना चाहिए जिससे पृथ्वी की पोषण क्षमता तथा सम्पोषणीयता बनी रहे। पृथ्वी की पोषण क्षमता तथा सम्पोषणीयता की मर्यादा के अंतर्गत सबसे गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर जिस उपभोग स्तर तक उठाया जा सकता है, वही उपभोग स्तर संपूर्ण समाज का होना चाहिए। उपभोग एवं विकास के इसी संतुलन को बनाये रखने की बात गांधीजी कहते हैं। विकास से हम अमर्यादित उपभोग तक जा सकते हैं, इस धारणा से मुक्त होकर ही हम पूंजीवाद का विकल्प खड़ा कर सकेंगे।

इस नये समाज के निर्माण का काम, पूंजीवाद के विकल्प के निर्माण का काम क्रांति पूरी होने के बाद होगा ऐसा भी नहीं है। विकल्प की रचना का काम, आज और अभी शुरू किया जा सकता है। गांधीजी की यह देन क्रांति की प्रक्रिया में क्रांति थी। जैसे जन-आंदोलन से लोकसत्ता का भास होता है, वैसे ही वैकल्पिक रचना लोकसत्ता का आधार खड़ा करती जायेगी। पूंजीवाद का बहिष्कार, उससे असहकार तथा वैकल्पिक रचना—ये दोनों एक साथ चलने होंगे।

इन सबके साथ ही चलाना होगा, नये व्यक्ति के निर्माण का कार्य। नये व्यक्ति के निर्माण के लिए नये तरह की शिक्षा, ग्राम-स्वराज्य, तमाम क्षेत्रों में स्वदेशी-स्वावलम्बन—इन सब कार्यों को साथ-साथ खड़ा करना होगा।

गांधी और जेपी की निरंतरता कोई व्यक्ति-पूजा की बात नहीं है। यह विकल्प की बात है, वैश्विक समाज के पुनर्गठन की बात है तथा नये नैतिक मनुष्य को खड़ा करने की बात है।

बिमल कुमार

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गांधी

❑ प्रो. (डॉ.) रामजी सिंह

नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 'गांधी वध क्यों?' नामक एक पुस्तक लिखकर महात्मा गांधी की हत्या का एक प्रकार से समर्थन किया है और शायद इसलिए ही उन्होंने पुस्तक का ऐसा शीर्षक भी चुना है। भारतीय संस्कृति में 'वध' शब्द अकसर ऐसे मनुष्यों, राक्षसों या असुरों की हत्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मानव जाति के लिए अनिष्टकर होते हैं। इसलिए 'रावण वध', 'कंस वध', 'जरासंध वध' आदि का उल्लेख होता है। इस संदर्भ में पक्ष या विपक्ष में तर्क देने के पूर्व मैं एक अत्यंत हृदय स्पर्शी सत प्रतिशत सच्ची कथा का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसे गांधीजी की पौत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अपनी नवीनतम कृति 'मेरे पितामह' में अंकित किया है। श्रीमती महाजन के पिता मगन गांधी अपनी मृत्युसय्या पर पड़े हुए थे और उनके जीवन का जो शेष समय था उसी समय एक युवक कुछ अस्त-व्यस्त स्थिति में उनसे मिलने पहुंचा। मगन गांधी ने उस युवक से उसका परिचय पूछा तो उस युवक ने अपना नाम गोपाल गोडसे बताकर प्रणाम किया। मगन गांधी ने स्फुट स्वर में कहा, तुम बहुत देर से आए हो। इस पर गोपाल गोडसे ने कहा कि मैं आपको अंतिम विदाई के पहले प्रणाम करने आया हूं। यह कहकर वह चला गया। भारत की जनता को शायद यह पता भी नहीं होगा कि बापू की शहादत और गोडसे की फांसी के बाद मगन गांधी ने भारत सरकार को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपित शेष व्यक्तियों के प्राणदंड की सजा माफ करने का अनुरोध करते हुए गांधी के नाम की दुहाई देकर बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा था। संक्षेप में उन्होंने लिखा था कि यदि गांधीजी जीवित होते तो प्राण दंड नहीं देने की बात कहते। गोपाल गोडसे ने मगन गांधी से विदा होते समय केवल यही कहा कि आपने हम लोगों की जान बचा दी है इसलिए आपको प्रणाम करने आया हूं। इस कथा से हम गांधीजी के जीवन के साथ उनके बलिदान के महत्त्व को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं।

गांधी की हत्या के पीछे गांधी का स्वयं कितना दोष है यह तो इतिहास बताएगा या न्यायालय द्वारा इसके लिए अपराधियों को दंड देने का औचित्य की समीक्षा होगी लेकिन जिस तरह गांधीजी ने गोली लगने के बाद भी अंतिम समय में किसी प्रकार के भय या मारने वाले के प्रति किसी प्रकार की घृणा या प्रतिहिंसा का भाव न लाकर केवल 'हे राम' कहकर अपनी इहलीला समाप्त की। ठीक इसी तरह प्रभु ईसा मसीह को जब लोगों ने लोहे की सलाखों से उनका संपूर्ण शरीर बिंध दिया था तो मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी अंतिम प्रार्थना में यही कहा था, ''प्रभु उन्हें क्षमा करना क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या किया?''

इतिहास में क्षमादान के ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन गांधी की शहादत में शायद क्षमादान में अहिंसा का पूर्ण दर्शन होता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा ही है— ''वैर से वैर नहीं मिटता है, ''अप्रेधेन जयेत क्रोधं।'' बापू जब चंपारण के गांवों में किसानों के बीच गये, जहां गोरे साहबों द्वारा एक बीघा में तीन कट्ठे जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था और गोरे सामंतवाद का तांडव मचाया जा रहा था तब इस अन्याय के विरुद्ध बापू सत्याग्रह का मंत्र लेकर पहुंचे तो अंग्रेजी शासन से पोषित एक गोरे साहब ने एलान कर दिया कि जो गांधी का सिर काटेगा उसे इनाम के तौर पर 500 रुपये दिये जायेंगे। गांधी इससे बिन डरे उसके विपरीत एक दिन सुबह में टहलते हुए उस गोरे साहब के पास अकेले जा पहुंचे और शांति एवं सद्भाव से इतना ही कहा— ''साहबजी, मेरा ही नाम गांधी है जो आपके सामने हाजिर है। चाहें तो आप इनाम का 500 रुपये बचा लें। गोरे की हिंसा हारी एवं गांधी की अहिंसा जीती।

इसी तरह गांधी ने असहयोग आंदोलन में अपने विविध बहिष्कार के कार्यक्रमों को जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही नहीं बल्कि देश भर में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलवाई। लंकाशायर एवं मैनचेस्टर के मिलों के मजदूरों का गुस्सा उबल रहा था, और गांधी को दोषी माना गया। उसी समय गांधी का दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के निमित्त जनमत निर्माण के लिए लंदन पहुंचने पर तुरत उन मजदूरों के बीच जाने का निर्णय लिया। जबकि वहां की सरकार ने उन्हें बहुत मना किया। बापू वहां जाकर उनसे मिले, उनकी छटनी और कम मजदूरी आदि के खिलाफ सहानुभूति प्रकट की। फिर उन्होंने बताया कि भारत में मजदूरों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें भूखे मरना पड़ता है। ऐसी हालत में उन मजदूरों के लिए वे क्या करें। मजदूर तो मजदूर हैं चाहे ब्रिटेन या भारत के हों। यह सब सुनकर फिर तो उन्हीं मजदूरों ने गांधी का अभिनंद किया। यह है सत्य एवं अहिंसा की जीत।

अतः गांधी की शहादत उनके हिन्दू-मुस्लिम सद्भावना तक ही सीमित नहीं है, उनकी सारी जिन्दगी ही 'जीवित शहादत' की जिन्दगी थी। उन्हें भारत-विभाजन और मुस्लिम तुष्टीकरण या हिन्दू-अस्मिता आदि के विरोध के लिए उनकी हत्या की गयी।

नौजवानों को यही जहर पिलाया गया जिसके कारण उन्होंने हिन्दू संस्कृति, धर्म,

परम्परा और राष्ट्रीयता आदि सबको भुला कर गांधी जैसे संत की हत्या कर दी जिस पाप से हिन्दुत्व का दामन कभी धुल नहीं सकेगा। उन नौजवानों को शायद यह पता नहीं कि देश की राजनीति के अखाड़े में गांधी के आने के पूर्व 1916 के लखनऊ पैक्ट में बालगंगाधार तिलक एवं वीर सावरकर दोनों ने स्पष्ट मान लिया था कि हिन्दू एवं मुसलमान दो राष्ट्र हैं। जिन्ना साहब तो मुस्लिम राष्ट्र की बातें कहते ही थे। सांस्कृतिक पृथकतावाद के निर्मूलन के लिए गांधीजी भारत की परम्परागत सामाजिक संस्कृति के विकास के लिए सर्वधर्म-प्रार्थना, भाषा में हिन्दुस्तानी, शिक्षा में नयी तालीम तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को अपने 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में प्रथम स्थान दिया था। भारत विभाजन से उनकी स्थित प्रज्ञता भी आहत हुई और 125 साल तक जीने की तमन्ना भी टूट गयी। 15 अगस्त के दिन दिल्ली जाना दूर रहा, कलकत्ता में वे उस दिन उपवास करते रहे। विभाजन के बाद भी भारत-पाक मैत्री के लिए वे पाकिस्तान जाना चाहते थे। नोआखाली की खतरनाक यात्रा का भी जोखिम वे उठा चुके थे। भारत की धर्मनिरपेक्षता ही कश्मीर, नागालैंड, पंजाब आदि के लिए धर्मनिरपेक्षता ही रक्षा कवच है। पाकिस्तान को उसके वाजिब हिस्से का 55 करोड़ दिलाना एक दूरदृष्टि थी। तीस-चालीस वर्षों से भारत की दासता के खिलाफ एवं अखंडता के लिए लड़ने वाला योद्धा पर भारत-विभाजन का आरोप एक पागलपन ही है।

भारत की स्वतंत्रता के अतिरिक्त भी गांधी के सामने एक बड़ा लक्ष्य था—एशिया और अफ्रीका के समस्त देशों को दासता से मुक्ति एवं यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत करना। यही नहीं गांधी के समक्ष संपूर्ण विश्व-मानवता के लिए समता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का लक्ष्य था। स्वतंत्रता से पूर्व जब दिल्ली के पास एशियाई संबंध परिषद् की बैठक हुई थी, वहां बापू ने समस्त विश्व-मानवता की मंगल कामना अपना उद्देश्य बताया। एक संवाददाता के प्रश्न कि क्या वे 'विश्व-सरकार' की स्थापना के पक्ष में हैं? गांधी ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि यदि विश्व-सरकार संभव नहीं है तो उनका जीना ही व्यर्थ है। सुकरात की तरह गांधी किसी देश विशेष के अभिमानी नहीं थे, किसी जाति विशेष के बंदी थे। किसी धर्म विशेष के आग्रही नहीं थे। विश्व के सद्विचार उद्यान में विहार करना उनका स्वाध्याय था और विरोधों का सामंजस्य करना उनके जीवन का पवित्र मिशन था।

गांधी के सामने सवर्ण-अवर्ण, गोरे-काले, हिन्दू या मुसलमान, भारत या पाकिस्तान की क्षुद्र सीमाएं नहीं थीं। वे तो एक विश्व-मानव एवं विश्व नागरिक थे। इसलिए हिन्दू, मुस्लिम और इसाई, सिक्ख, पारसी या बौद्ध-जैन-सबों के प्रति समान आदर भाव रखते थे। जो गुरुदेव का 'मानव-धर्म', स्वामी विवेकानन्द का विश्व-धर्म था, वहीं गांधी का 'सर्वधर्म, समभाव' था। ऐसे संत से संकीर्ण देशभक्ति या संकीर्ण धर्म निष्ठा या द्वेषपूर्ण रंग-भेद की राजनीति की आशा नहीं की जा सकती है। अतः उनकी शहादत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही मूल्यांकन होना चाहिए।

गांधी की शहादत उनकी हत्या के साथ-साथ उनके जीवन में अनगिनत कष्ट, उत्पीड़न के रूप में देखी जा सकती है। वे केवल संत ही नहीं एक अविरल योद्धा भी थे। दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपमान एवं सत्याग्रह में प्रताड़ना एवं आत्मपीड़न के बाद भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली का क्रम चलता रहा। फिर 1921-22 में असहयोग आंदोलन, 1931-32 में सविनय अवज्ञा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में जितना श्रम या साधना लगी होगी वह उनकी जीवित शहादत का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ उन्होंने अपने 18-सूत्री 'रचनात्मक कार्यक्रमों' को संचालित करना उनके जीवन का शिवत्व भाव मात्र है। राजनीति की काजल कोठरी में रहते हुए भी उन्होंने नैतिकता को पर्यायवाची बनाना कोई छोटा कौतुक नहीं था। राम से भी वाल्मीकि ने शम्बूक वध एवं जगत् जननी सीता का निर्वासन करवा कर और तुलसी ने सीता की अग्नि परीक्षा आदि से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी शायद मानव दुर्बलता आरोपित किया तथा महाभारत में व्यास ने श्रीकृष्ण से, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ एवं दुर्योधन आदि के वध की मंत्रणा में रहकर कलंकित हुए। लेकिन गांधी ने साधन की शुद्धि से राजनीति का जो अध्यात्मीकरण करने में बार-बार जो विषपान किया, वह सचमुच उनकी जीवित शहादत ही है। उसी प्रकार राजनीति में सत्य और अहिंसा को प्रतिष्ठित करने में जो गरलपान करना पड़ा, वह जीवित शहादत ही मानी जायेगी। ❑

स्वराज्य

''स्वराज्य का अर्थ और कुछ भी न होकर केवल इतना ही है कि मेरे घर का सारा कारोबार मैं स्वयं देखूं। स्वराज्य-प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य यानी हमारा राज्य। अपनी मेहनत की रोटी अपने हाथों खा सकने का नाम स्वराज्य है। नौकरों का राज्य हटाकर जनता का राज्य आने का नाम स्वराज्य है। भगवान को न बदलते हुए पुजारी को बदलने का नाम स्वराज्य। हम ऐसे स्वराज्य की मांग कर रहे हैं जिसमें जन नेताओं के हाथ स्वतंत्र अधिकार आकर, अधिकारियों की नहीं, जनता की देखभाल में, जनता की सुख-सुविधाओं के लिए, जनता की व्यवस्था की जा सके।''

('स्वराज्य गीता'से) **–लोकमान्य तिलक**

रचनात्मक कार्यकर्ताओं से अपेक्षाएं

❑ न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर धर्माधिकारी

30 जनवरी, 1948 के दिन गांधीजी की हत्या हुई। बाद में 13 मार्च, 1948 के सेवाग्राम में आयोजित रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलन में सर्वोदय-समाज की स्थापना की गयी। उद्देश्य था—'सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर आधारित एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करना, जिसमें जाति-पांति का भेद न हो, जिसमें किसी को किसी का शोषण करने का मौका न हो और जिसमें समूह तथा व्यक्ति दोनों को विकास करने का पूरा अवसर हो।'

इसका अधिष्ठान होगा 'साध्य की तरह साधन की शुद्धता का आग्रह।'

मार्च, 1948 में ही सर्व सेवा संघ की भी स्थाना की गयी। उसका भी उद्देश्य था ऐसे समाज की स्थापना, जो सत्य और अहिंसा के तत्त्वों पर आधारित हो। वह समाज दमन, अनीति और अन्याय से मुक्त हो। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए संघ राज्य-सत्ता के लिए होने वाली प्रतिद्वंद्विता से पूरी तरह निर्लिप्त रहेगा। संघ ऐसी लोकशाही के विकास और स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जिसका आधार दलीय या पक्षीय राजनीति नहीं, बल्कि शासन-निरपेक्ष लोकनीति होगी। उसमें जाति-पांति, सम्प्रदाय, वर्ण, वर्ग, रंग, भाषा, देश आदि के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभावों का कोई स्थान नहीं रहेगा। यह संघ ऐसी जीवन-पद्धति का विकास करेगा जिसमें मनुष्य-मनुष्य में निरंतर सहयोग और समता बढ़ती रहेगी, वर्ग-निराकरण होगा, पूंजी और श्रम का अंतर्विरोध सर्माप्त होगा एवं विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खादी, कृषि, उद्योग, पशुपालन उसके साधन रहेंगे। यह संघ विधिक कार्यक्रमों द्वारा शांति, प्रेम, मैत्री, करुणा तथा न्याय की उदात्त भावना जाग्रत करेगा, अहिंसा की मर्यादाओं का पालन करके जनशक्ति-निर्माण करेगा तथा सम्पूर्ण क्रांति द्वारा सर्वोदय मूल्यों की सिद्धि के लिए रचनात्मक कार्यक्रम व आवश्यकता के अनुसार सत्याग्रह के उपायों का प्रयोग करेगा।

यह तो निर्विवाद तथ्य है कि सर्वोदय-संस्था में कार्य करने वाले लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रसर थे। अनेकों ने कारावास सहन किया और वे सब दृष्टियों से स्वतंत्रता-सैनिक थे। इनमें एक समूह ऐसा भी था जो सत्ताकांक्षी नहीं था। उन्हें सत्ता-पद का मोह नहीं था। आज भी सामान्य जनता का विश्वास उन पर ही है। मुम्बई के बम विस्फोट में जिनका नुकसान हुआ, जो बरबाद हो गये, उन्हें 'गांधीवालों' की ही याद आयी। उनकी निरपेक्ष तथा सेवाभावी वृत्ति के कारण संकटग्रस्तों को भरोसा था कि उनको सौंपे गये काम, फंड या पैसे देने पर काम ठीक-ठीक होंगे और खर्च भी समुचित ढंग से होगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था और आज भी नहीं है।

स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं समाज की प्राणभूत केन्द्र : स्वयंसेवी और समाजसेवी संस्थाएं समाज की प्राणभूत केन्द्र हैं। वे प्रक्षेपण केन्द्र भी हैं। सामाजिक जीवन के विकास के रुख को देखकर प्रचलित मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी संस्थाएं आवश्यक होती हैं। परिवर्तन के प्रति निष्ठावान लोगों को एकत्र करके उनका 'कैडर' निर्माण करना इन संस्थाओं का उद्देश्य है। जिनकी सेवा करनी है, उनके सामूहिक हित का महत्त्व सबसे अधिक है। अतः कार्य के विषय में लगन और तड़पन इन संस्थाओं का प्राण है। निरपेक्ष सेवा के बिना व्यक्ति और समाज का विकास संभव ही नहीं है। इसी कारण सेवा को सर्वोत्तम धर्म माना गया है और त्याग ही उसका अधिष्ठान है। गांधीजी की रचनात्मक संस्थाएं सेवा के उपकरण थीं। जरूरत होने पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष तथा साधारण समय में रचनात्मक सेवा, यह दोहरी भूमिका अभिप्रेत थी।

सेवाभावी संस्थाओं के दो प्रकार हैं—एक व्यक्तिनिष्ठ, जहां व्यक्ति के आकर्षण, प्रभाव या आश्रय से लोग एकत्र होते हैं। उसमें एक व्यक्ति गुरु के समान होता है और वह व्यक्ति ही अधिष्ठान होता है। उसके चारों ओर कार्य और कार्यकर्ता घिरे रहते हैं। उसका आदेश अन्तिम होता है। दूसरा प्रकार—मानवनिष्ठ और विचारनिष्ठ संस्था का। इसमें सेवा और विचार ही मुख्य होता है। कार्य का अधिष्ठान विचार व सहज प्रेरणा होती है। इससे संस्था के कार्यकर्ताओं के जीवन तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका परिणाम भी दीर्घकालिक होता है। इसमें रचनात्मक कार्य की अपेक्षा विधायक वृत्ति अधिक आवश्यक होती है। समाज या विश्व के विकास के लिए जो अनुकूल एवं पोषक हो, वह विधायक प्रतिभा है। प्रतिभा के विकास तथा संरक्षण के लिए जो संस्था होती है, वही है सर्वोदय-संस्था। ऐसी संस्था का आधार सौहार्द है, जो प्रोफेशन, वोकेशन, ऑक्युपेशन के समन्वय के लिए भी आवश्यक है। प्रोफेशन (जीविका) और समाज-जीवन में अनुबंध आवश्यक है। इसमें विरोध आने पर संस्था का ह्रास होता है और वह जीविका का साधन बन जाती है। कार्यकर्ता संस्था पर अवलंबित न रहे और संस्था सरकार पर अवलंबित न रहे—यह सर्वोदयी संस्था का पथ्य था, लेकिन इन संस्थाओं में भी असंगतियों के साथ संगति होने से राजनीतिक लोग घुस गये और इससे उनमें राजनीति आ गयी। उन्हें वैकल्पिक राजनीति करनी थी और सर्वोदयी संस्था का आदर्श तो राजनीति का विकल्प ढूंढ़ना था। वर्तमान राजनीतिक दलों को गुटबंदी या छल द्वारा इन स्वयंसेवी संस्थाओं पर अपना कब्जा

जमाना था। उन्हें अपने लोगों को संस्थाओं में स्थापित करने में ही रुचि थी। अतः जिन लोगों ने जी-जान से, प्राणपण से संस्थाएं खड़ी की थीं, वे बाहरी या पराये साबित हो रहे हैं और सत्ता के लिए सेवा या सत्ता के मार्फत सेवा की वृत्ति से ऐसी संस्थाओं में शामिल होने के आकांक्षी नये समूह या वर्ग पैदा हो रहे हैं। इससे खानदानशाही और गुटबाजी बढ़ रही है। यह कष्टप्रद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।

दादा धर्माधिकारी को संस्थाओं और संगठनों का जैसा अनुभव हुआ, उसमें उन्होंने अपने उद्‌गार व्यक्त किये कि संस्था का प्रपंच और किचकिच कुटुम्ब की किचकिच या झमेले से अधिक भारी और पेचीदी होती है। उनका मत था कि ''कम-से-कम पचहत्तर पार करने पर तो सदस्यता त्यागकर अखिल मानव तथा सबके सुहृदय (स्नेही) के रूप में जीना चाहिए। इसे वानप्रस्थ कहिये या संन्यास, लेकिन यह आवश्यक है। अधिक आयु वाले यदि इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनके बाद की पीढ़ी प्रतीक्षा करते-करते बूढ़ी हो जायेगी।'' सर्वोदयवादियों का पूरा गणित ही कच्चा था। अतः जिसे व्यवहार कहा जाता है, वह उनसे नहीं बन सका। उनकी समझ में नहीं आया कि स्वयंसेवी संस्था में भी राजनीति का प्रवेश हो रहा है, तथाकथित दान का भी व्यापार चलने लगा है। पहले व्यापार में दान भावना थी, अब दान में भी व्यापार वृत्ति है। संस्था में संस्था मुख्य और सेवाकार्य गौण हो रहा है। सत्ता-निरपेक्ष और सम्पत्ति-निरपेक्ष सामाजिक संस्थाएं कम से कमतर होती जा रही हैं। वह समाजसेवा क्षेत्र का सार्वत्रिक रोग है।

बुद्धिजीवियों के तीन प्रकार : बुद्धिजीवी लोग तीन प्रकार के होते हैं— बुद्धिमान, चालाक और धूर्त (intellegent, clever and cunning)। इसमें से चालाक और धूर्त का महत्त्व सभी संस्थाओं में बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप विश्वास की बुनियाद में दरारें पड़ रही हैं। जो संस्थाएं अस्तित्व में हैं—धर्म, विज्ञान और राजनीति की तथा शासन-व्यवस्था की, वे असफल या अयशस्वी सिद्ध हो रही हैं। दूसरी ओर अच्छी, साफ-सुथरी समाजसेवी संस्थाओं का गला काटने का बीड़ा सभी स्तरों पर सत्ताधिकारियों ने उठा लिया है। कोई भी संस्था छूट न जाये, ऐसी योजनाबद्ध कोशिश जारी है। यह अनुभव सर्वोदयी संस्थाओं को हो रहा है। उधर संस्थाओं में युवाओं और नये रक्त को अवसर नहीं मिलता, संस्थाओं में सारे सिर श्वेत बालों के हैं। इनमें से मार्ग निकालना भी आसान नहीं, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में निवृत्ति की आयु-सीमा नहीं है, पद और सत्ता छोड़ने की मानसिकता नहीं है। और उधर युवकों को बिना तपश्चर्या के एकदम ऊपर के पद चाहिए। इसी को वे अवसर प्राप्त होना कहते हैं। कोई भी सेवा न करते हुए पद के आकांक्षी युवकों के लिए, जिन पर पुरानी पीढ़ी का, समाज का विश्वास नहीं, सेवा के पर्याप्त अवसर मिले, वे ऐसा नहीं चाहते। वे तत्काल संस्था के पद और चाबियां चाहते हैं। यही परेशानी या बाधा अन्य संस्थाओं की तरह सर्वोदयी संस्थाओं में भी उपस्थित हो गयी है। यद्यपि नवसमाज-निर्माण के लिए सर्वोदय-विचार और संस्था के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, यह स्थिति भी क्रांतिवादी तरुण अच्छी तरह जानते हैं।

यह बात भुला दी जाती है कि नये युद्ध पुराने शस्त्रों से नहीं लड़े जा सकते। आजकल सर्वोदय की संस्थाओं में भी नया चिन्तन दिखायी नहीं दे रहा। वे लकीर-के-फकीर बनती जा रही हैं। कोई भी प्रश्न प्रस्तुत हुआ तो गांधी-विनोबा के साहित्य में से 'रेडिमेड' नुस्खे खोज निकालने की प्रवृत्ति है। जिज्ञासा कायम रखकर शाश्वत विचारों के आधार पर स्वतंत्र चिन्तन करना ही उन्होंने छोड़ दिया है। हमारा आग्रह यह रहता है कि हम जो कहते और मानते हैं, वैसा ही गांधी था और आज वे जीवित होते तो हम जैसा चाहते, वैसा ही रहते। हम गांधी को अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपने मापदंड में उन्हें बैठाना चाहते हैं। इससे दुराग्रह बढ़ता है और जिज्ञासा तथा चिन्तन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वास्तव में तो गांधी जहां रुक या ठहर गये, वहां से सर्वोदयी संस्थाओं का सफर शुरू होना चाहिए था। गांधीजी तो कहते थे कि ''गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है; और, मैंने पहले क्या कहा था उसे भूलकर मैं आज, और अभी जो कह रहा हूं, इसी को ध्यान में रखिए।'' क्योंकि गांधीजी सत्यशोधक थे। आचार्य कृपलानीजी के अनुसार गांधी वाले आग्रह और दुराग्रह के कारण आपस में प्रेम नहीं करते, उनमें पारस्परिकता का अभाव है। पारस्परिकता में कई बार अपने साथी के पाप को अपना पाप मानना पड़ता है, महत्त्वाकांक्षा और अहंकार त्यागना पड़ता है। सेवा का भी अहंकार तजना होता है। मुझमें अहंकार नहीं है, इस अहंकार को भी त्यागना होता है। अपनी क्षुद्रता और मर्यादा का भान रखना होता है। आग्रह में भी विवेक आवश्यक है। आपस में इतना प्रेम और स्नेह जरूरी है कि उसमें अहंकार का लेश भी न रहे। इस दृष्टि से लगता है कि अन्य संस्थाओं की तरह सर्वोदयी संस्थाओं में भी कुछ खामियां हैं।

खादी-ग्रामोद्योग और कमीशन : खादी-ग्रामोद्योग कमीशन सरकारी होने से पूरे अर्थ में 'कमीशन' हो गया है। उनका 'मिशन' नहीं है, केवल 'कमीशन' है। इस संस्था के व्यक्ति खादी का उपयोग नहीं करते। ग्रामोद्योग पर उनका विश्वास नहीं। उनके लिए वह अन्य नौकरी की तरह ही मात्र एक 'चाकरी' है। उन्हें सर्वोदय संस्थाओं को छलने का परवाना मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार-निरपेक्ष खादी-ग्रामोद्योग की प्रवृत्तियां चलाने की आवश्यकता है। लेकिन खादी पर कमीशन और रिआयत प्राप्त होने की आदत के कारण खादी-संस्थाएं स्वयंपूर्ण नहीं हो सकीं। विनोबाजी तो कहते थे कि जो 'सरकारी' या सरकार के भरोसे चलता

है वह 'असरकारी' यानी फलप्रद नहीं हो सकता। इसकी गहरी और समुचित जानकारी सर्वोदयी संस्थाओं को दिखायी नहीं देती।

'संघर्ष और रचना' पर आधारित सर्वोदय-संस्थाएं थीं। अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किये बिना रचना का कोई अर्थ या प्रयोजन नहीं और रचना या निर्माण करने की रचनात्मक, विधायक वृत्ति नहीं होगी तो संघर्ष व्यर्थ और नपुंसक साबित होता है। परंतु इस समय तो लोगों का विश्वास हिंसा पर बढ़ रहा है। विचार के विरुद्ध विचार द्वारा मुकाबला नहीं किया जाता। अतएव मनुष्य का माथा उड़ा दिया जाय तो व्यक्ति तथा साथ ही उसके विचार का भी उच्चाटन हो जाता है, ऐसी सार्वत्रिक धारणा बढ़ रही है। ऐसी मानसिकता के कारण विश्व में सर्वत्र महापुरुषों की हत्या की गयी या उनके जीवन का अंत हुतात्मा होने या आत्मबलिदान में हुआ।

असफल सिद्ध हुईं तीनों संस्थाएं : आज की तारीख में विश्व में स्थित तीनों संस्थाएं असफल हो गयी हैं। पहली संस्था 'धर्मसंस्था'। आज धर्म को संगठित करने का प्रयत्न चल रहा है। धर्म की प्रतिज्ञा थी कि मनुष्य को मनुष्य के निकट लाया जायेगा और ईश्वर के पास पहुंचाया जायेगा। परंतु प्रत्यक्ष में उलटा ही हुआ। धर्म के नाम पर मनुष्य-मनुष्य में अलगाव या वैमनस्य ही पैदा किया गया। वह ईश्वर के निकट पहुंचा ही नहीं, बल्कि यमराज को ही निकट बुला लिया गया। लास्की का प्रसिद्ध वचन है कि धर्म के नाम पर विश्व में जितनी हिंसा और प्राणों का हनन हुआ है, वैसा अन्य किसी भी नाम पर नहीं हुआ। धर्म में से सत्य, अहिंसा, ईश्वर और सदाचार आदि शाश्वत मूल्य, जो सभी धर्मों में समान हैं, इन्हें अलग करने पर, जो कर्मकाण्ड बचता है, उसी को धर्म कहा या माना जाता है। सभी धर्मों के शाश्वत मूल्य समान ही हैं। अतः गणित के सिद्धान्तानुसार 'समान तत्त्व' शून्य होकर कर्मकाण्ड विशिष्ट धर्म बन गया। उसमें परलोकवाद मिल गया। और परलोकवाद का प्रेरक तत्त्व तो दण्ड और प्रलोभन ही है। सदाचार की अन्तिम अधिष्ठाता इहलोक में फांसी के तख्ते पर लटकाने वाला जल्लाद या दण्डशक्ति है, तो परलोक में यमराज है। अतः भय ही अच्छाई या भलमनसाहत का अधिष्ठान है और भय के पेट में केवल नकारात्मक बातों का विकास होता है। धार्मिक जनों की दृष्टि में यह जगत रैन बसेरा है, निजधाम परलोक में है; इसीलिए तो मनुष्य दिवंगत होते ही निजधाम चला गया, ऐसा कहते हैं। यानी इहलोक की अपेक्षा 'परलोक' पर उनका अधिक विश्वास है, निष्ठा है। इसके कारण सामाजिक कार्यों की प्रेरणा भी मोक्ष या स्वर्ग-प्राप्ति की है। मानवसेवा भी इसी के लिए की जाती है, फिर भी हम उसे निष्काम और निरपेक्ष सेवा कहते हैं। दया, दान उसके अधिष्ठान हैं। दान की इस प्रक्रिया में देने वाला दानी और लेने वाला नादान माना जाता है। दया करने वाला दयावन्त और जिस पर दया की जाती है, वह दया का पात्र है, गरीब, दयनीय है। दया-दान पर मनुष्य की प्रतिष्ठा टिकी नहीं रह सकती। दया-दान का व्यापार भी होता है। 'कर' चुकाने से बचने के लिए दान की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। पहले व्यवहार में दानवृत्ति थी, अब दान में ही व्यवहार-वृत्ति आ गयी है। इस प्रकार से सेवावृत्ति कम है, मानवीय वृत्ति तो और भी कम है। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में स्वर्ग-प्राप्ति के लिए दया-दान का महत्त्व अधिक और आवश्यक है; अतः दया के पात्र, दान चाहने वाले लोग रहने चाहिए। यानी गरीबी, बीमारी, संकट कायम रहने चाहिए, तभी दान-धर्म कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में शुद्ध मानवसेवा कम है, क्योंकि प्रेरणा आधिभौतिक और पारलौकिक है। पारमार्थिक तो क्या, वह शुद्ध मानवीय भी नहीं है। सेवा के भी लेबल चिपकाये जाते हैं। विभिन्न धर्मों में द्वेष-भावना, जाति-उपजाति, पंथ आदि वादों के कारण सेवा-क्षेत्रों में भी इन्हीं भावनाओं से सेवा की जाती है। सेवा पर भी इन भेदों का रंग चढ़ता है और मानवीय मूल्य कम होकर धार्मिक, पंथीय, जातीय भेदभाव का पोषण होता रहता है। राजनैतिक लोगों की वृत्ति दलीय और पक्षीय है, शुद्ध मानवसेवा न उसका आदर्श है और न ध्येय। उन्हें तो मात्र अपनी राजनीति करने से मतलब है।

दूसरी संस्था है विज्ञान। विज्ञान की भी प्रतिज्ञा थी कि एक मनुष्य को एक-दूसरे के निकट लाया जायेगा। विज्ञान ने देश-देश का अंतर तो कम किया है। अंतर या दूरी की दृष्टि से मनुष्य निकट आया है। अब दो देशों का, प्रदेशों का अंतर 'किलोमीटर' के बदले समय यानी मिनटों, घंटों या घड़ी के कांटे से मापा जाता है। इस तरह लोग निकट तो आये, पर केवल युद्ध और कुश्तियों के रूप में। वे एक-दूसरे को पराजित करने के लिए या प्रेम से गले लगाने के लिए निकट आये हैं, यह कहना कठिन है; क्योंकि विज्ञान मनुष्य को एटमबम तक ले आया। अकाल, भूकम्प, संकट आदि के समय एक देश दूसरे देश की आर्थिक सहायता करता है, भौतिक मदद करता है, लेकिन उसके पीछे वृत्ति मानवीय सेवा की रहती है, यह नहीं कहा जा सकता; उसमें भी राजनीति होती है।

तीसरी सत्ता है राजनीति की। आज तक का अनुभव है कि राजनीति एक अंधी गली (ब्लाइंड लेन) है। वह एकमार्गी है, सँकरी है। वह राजनीति से राजनीति की ओर ही जाती है। उसमें सत्ता के मार्फत सेवा करने की इच्छा है, सेवा के मार्फत सत्ता प्राप्त करने की इच्छा है। अतः आजकल प्रत्येक राजनैतिक व्यक्ति 'समाजसेवा' करना चाहता है या कहें कि समाजसेवा के क्षेत्र में राजनीति घुस गयी है। वह दलीय है, प्रादेशिक और जातीय भी है। आप किसी भी श्रीमंत या राजनीतिक→

यह तो गांधीजी का पंचायतराज नहीं है

❑ डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा

गांधी चिन्तन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात् स्वदेशी एवं विदेशी बुद्धिजीवी वर्ग की दिलचस्पी को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। रोम्या रोलां ने लिखा है कि अगर भारत को समझना है तो गांधी और स्वामी विवेकानन्द को समझो, ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि की झलक हैं। गांधीजी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति का सूक्ष्म तथा विशाल दृष्टि से उसकी आंतरिक शक्ति एवं निरंतरता को समझा। इसी दृष्टि के निर्माण में संस्कारिक जड़ताओं से मुक्ति की चेष्टा प्रखरतम रूप से मौजूद है। गांधी सद्‌गुणी व्यक्ति एवं नैतिकतापरक समाज के प्रयोजन से प्रेरित ऐसे जनतंत्र के पक्षधर थे।

4 नवंबर, 1948 को संविधान के द्वितीय प्रारूप पर विचार करने हेतु जब संविधान सभा की बैठक हुई, बैठक में इस आधार पर संविधान की आलोचना हुई कि यह संविधान न तो भारतीय है और न ही गांधीवादी। प्रोफेसर एन. जी. रंगा ने प्रारूप का विरोध करते हुए कहा था कि यह उन सब उद्देश्यों का प्रतिवाद है जिसके लिए गांधी ने संघर्ष किया था। महावीर त्यागी इस निर्मित संविधान से अत्यन्त असंतुष्ट थे। उन्होंने संविधायकों से अपील की थी कि उन्हें इस प्रारूप की परख गांधी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि गांधी की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी ही देश से गांधी दृष्टिकोण का विलोप न हो पाये।

संविधायक सच्चे मन से पंचायत राज व्यवस्था संबंधी गांधी-विचारों को स्थापित करना नहीं चाहते थे अन्यथा संविधान निर्माण के प्रथम ड्राफ्ट, संविधान की प्रस्तावना इत्यादि में इसका उल्लेख पहले ही किया जा सकता था। यह कार्य तो गांधी समर्थकों द्वारा जीवंत बहस का परिणाम रहा है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण गांधी के सच्चे वारिस होने का दावा किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया अन्यथा पंचायत राज पर विस्तृत विवरण, दिशा-निर्देश संविधान में निहित होते; जैसे शक्तियां, निर्वाचन, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि।

गांधी के विचारों के अनुरूप पंचायत राज में गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए। जिसमें स्वावलंबन, स्वशासन, आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता और विकेन्द्रीकरण तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी अधिकार पंचायत के पास हों। निर्णय आम सहमति या जनहित में हो, न कि मत गिनती द्वारा गांवों में गरीबी और बेरोजगारी निवारण जैसी सभी नीतियां निर्मित करने का दायित्व अधिकार रखते हों। वास्तव में ग्राम का नागरिक बेरोजगार, भूखा, वस्त्रहीन न रहे, ऐसे दायित्वों की पूर्ति का कार्य पंचायतें करेंगी। अर्थात् व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता—भोजन, वस्त्र, आवास की जिम्मेदारी गांव अपने स्तर पर प्रबंध करेगा। लोगों में प्रतिस्पर्द्धा के स्थापन पर सहयोग हो, अगर प्रतिस्पर्द्धा भी होगी तो अधिक सेवा करने की।

प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी ने पंचायत राज को क्यों इतनी प्रधानता दी? वे भारत को जितनी अच्छी तरह जानते तथा समझते

→व्यक्ति के यहां जाने पर पूछेंगे तो वह अभिमानपूर्वक कहता है कि 'मेरी पत्नी समाजसेवा करती है या मैं समाजसेवा करता हूं।' यानी वे क्या करते हैं, यह ठीक-ठीक नहीं बता सकते। पर उनके विजिटिंग कार्ड पर 'समाजसेवक' की उपाधि स्पष्ट दिखती है। हमने माना था कि राजनीति और सत्ता सेवा के उपकरण या उपादान रहेंगे, पर इसके विपरीत समाजसेवा के मार्फत सत्ता प्राप्त करने की ही आकांक्षा है, सत्ता प्राप्त करने के लिए सेवा का पाखण्ड या ढोंग है। जैसे समाजसेवा में राजनीति घुस गयी, वैसे ही दुर्भाग्य से वह धर्मनीति में भी घुस गयी है और सारे क्षेत्र दूषित-कलुषित हो गये हैं। जैसे समाजसेवा का राजनीतिकरण हो रहा है, वैसे ही उसका बाजारीकरण भी हो रहा है। उसके मूल्य कम हो रहे हैं और सेवा पर बाजार के विनियोग का मूल्य यानी कीमत का अर्थशास्त्र लागू हो रहा है। ऑस्कर वाइल्ड का प्रसिद्ध वाक्य है—"Cynic is a person who knows price of everything and value of nothing." मूल्यों की जगह Exchange Value ने ले ली है। इसके कारण सेवा का मूल्य ही कम हो रहा है। संस्था में स्थानीय वृत्ति बढ़ रही है। पद और पदाधिकारियों की विरुदावली तैयार हो गयी है। सत्ता-क्षेत्र के सारे तत्त्व उसमें घुस रहे हैं। मन्दिर, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, अंधविद्यालय आदि क्षेत्रों में भी चुनाव की सत्ता-स्पर्द्धा प्रविष्ट हो गयी है। चुनाव तो सत्ता के केन्द्र हथियाने के लिए ही होते हैं। अब सेवा-केन्द्र सत्ता-केन्द्र बनने लगे हैं। इस वृत्ति से समाजसेवा को मुक्त होना चाहिए और वह केवल अशासकीय व निरपेक्ष स्वयंसेवी, स्वावलंबी समाजसेवा करनेवाली संस्थाएं ही कर सकती हैं। अन्यथा आज सभी क्षेत्रों में दुर्जन 'सक्रिय' हैं, तो सज्जन 'निष्क्रिय' हैं। सत्ता और सम्पत्ति की चलती है। स्पर्द्धा बढ़ती है, सौहार्द कम होता जाता है।

...शेष अगले अंक में

थे अन्य कोई उतनी अच्छी तरह नहीं समझता था। गांधीजी भारतीय मानस को समझने वाले व्यक्ति थे।

उन्होंने समझा कि नव जाग्रत भारत का मानव जो ग्रामों में रहता है, अपनी गरिमा और गौरव को पंचायत के पुनरुत्थान द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। भारत गांवों में बसता है और जब तक गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। वे लोग भारत का ही नाश करेंगे जो गांवों को कमजोर करके उनका नाश करेंगे।

स्वतंत्रता से आज तक ग्राम विकास के घोषित कार्यक्रमों के पीछे वोट की राजनीति हावी रही है। गांधी दृष्टि के नाम पर उपयोग करना और गांधीजी के सिद्धान्तों से दूर रहने की प्रवृत्ति इनके पीछे व्याप्त रही है। गांधी विचार के अनुसार प्रत्यक्ष जनता द्वारा स्थापित जन-प्रतिनिधि चुनाव द्वारा ही ऐसे दोषों से बचा जा सकता है। आज की व्यवस्था प्रतिनिधि व्यवस्था के एक अंग रूप में है, जो आत्मनिर्भरता के स्थान पर केन्द्र पर निर्भरता में वृद्धि ही करता है। इसमें निर्णय, नियोजन, प्रव्या निर्धारण का आरम्भिक बिन्दु राजधानी है, जबकि गांधी-चिन्तन में गांव होना चाहिए, सत्ता पीरामिड के अनुसार ऊपर से नीचे विकेन्द्रित होती है। गांधी-विचार में सत्ता नीचे से ऊपर जानी चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित पंचायतों का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य की सिद्धि है। सिद्धान्त प्रायः गौण हैं। जबकि गांधी सिद्धांत व साधनों को प्रथम स्थान देते हैं गांधी ग्राम पंचायत के स्थान पर स्थापित पंचायती राज प्रभावी लाभदायक एजेंसी मात्र बनकर रह गया है।

गांधी-विचार गांव के संबंध में जीवन जीने की एक समग्र योजना है। जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्त्व देने के साथ समाज की सर्वोपरिता के साथ सामंजस्य है। वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सत्य, अहिंसा के साधन अपनाने की बात कही गयी है। वर्तमान में स्थापित पंचायत योजना में गांधी चिन्तन को ढूंढ़ना चाहें तो वह मिलना दूभर है क्योंकि दोनों संकल्पनाओं में कोई साम्य नहीं।

और न ही इस दिशा में सार्थक योगदान किया गया। अतः वर्तमान पंचायत राज गांधी की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। गांधीजी और संविधायकों की सोच में भारी अंतर रहा है। इसी के परिणामस्वरूप पंचायत राज सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज लोकतंत्र की एक इकाई के रूप में प्रकट हुआ है। अधिकांश पंचायत की योजनाएं केन्द्र से निर्मित होती हैं। ऐसे में इसे गांधी का पंचायत राज कैसे कहा जा सकता है?

संविधान निर्माताओं ने चाहे दबाव में ही सही, पंचायत राज व्यवस्था का समावेश संविधान में आधे-अधूरे मन से किया हो परन्तु इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक-सी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। संभव है इस कदम का दूरगामी महत्त्व नेताओं ने उस समय न समझा हो, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में इसकी सफलता में उन्हें संदेह था और इसका मजाक उड़ाया गया था। परंतु आज इसके महत्त्व एवं सफलता के कार्यों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। यह गांधी विचारों की दूरदर्शिता की श्रेष्ठता को स्वमेव प्रमाणित कर देता है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय सरकार को मात्र संवैधानिक दर्जा देता है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए स्थानीय सरकार को स्वतंत्र इकाई का दर्जा देना आज भी बाकी है। इस अर्थ में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वतंत्र निकाय वाली पंचायत ग्रामीण गणतंत्र का गांधी-सपना, सपना ही रहेगा।

देश के अंदर विकेन्द्रीकरण की जब एक पृष्ठभूमि है, कानून निर्मित हो चुके हैं, परंतु जिन सही अर्थों में यह डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, यह उन अर्थों में नहीं हुआ है। संविधान में ''यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट'' लिखा है जबकि गांधीजी ने 'सेल्फ सफिश्येंट विलेज रिपब्लिक'' कहा था। यह जो बनाये हुए ढांचे हैं, वह खोखले रह गये हैं। पंचायतों को अधिकार, जिम्मेदारियां व साधन विशेषतः प्रदान नहीं किये गये हैं, न ही नौकरशाही कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गयी। जो नौकरशाही वहां है, वह तो वहां 'मालिकशाही' बन चुकी है।

यह संशोधन निर्धारित समय से निर्वाचन कराने की व्यवस्था करता है परन्तु निर्धारित समय पर निर्वाचन नहीं कराने पर राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है और कैसे, इस पर संविधान में कुछ नहीं लिखा है। इस प्रकार की जो भी टेक्निकल कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा।

निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहना है कि गांधी के पंचायत राज और वर्तमान सरकारी पंचायतों का कहना भ्रम उत्पन्न करना है। अगर गांधी का पंचायत राज लागू करना है तो संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, नागरिकों को निर्भीकता, सीमित आवश्यकता, परोपकार और पारदर्शी भावना, नैतिक चरित्र की श्रेष्ठता से कार्य करना होगा। सरकारों की तरफ मुखापेक्षा तक छोड़नी होगी तभी हम गांधी पंचायत राज की ओर बढ़ सकते हैं। ❑

सच जहां से भी मिले

❑ अविनाश चन्द्र

भारत हजारों-लाखों वर्षों से आध्यात्मिक-चिंतन की दृष्टि से बेजोड़ देश रहा है। दुनिया के किसी देश में इतनी लम्बी अवधि तक इतना गहरा आध्यात्मिक चिंतन लगातार चलता रहा हो, ऐसा नहीं है। लाखों वर्ष पहले वेदों का लिखना प्रारंभ होकर, पुराणों, उपनिषदों, दर्शनों में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट आध्यात्मिक चिंतन समेटते हुए, उनपर टीकाओं, व्याख्याओं, भाष्यों आदि का सिलसिला भी चलता रहा। इस सिलसिले को हजारों-लाखों वर्षों तक आगे बढ़ाते जाने में तप और साधन में रत विशिष्ट वर्ग, अपने पवित्र एवं निःस्वार्थ आचरण के कारण निरंतर गति देता रहा।

लेकिन आज मुझे सच के अवतार महात्मा सुकरात की याद आ रही है। प्राचीन यूनान (आज ग्रीस) की राजधानी एथेंस में सुकरात ने अपने ऊपर लगे कथित अपराध का निर्णय करने के लिए बनाई गयी 52 नागरिकों की एक सभा के समक्ष गंभीर भाषण दिया : ''संसार को एक सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता। हम उस सिद्धांत को अलग अंतरतम की गहराई में बैठकर पा सकते हैं। मनुष्य का असली रूप यह हाड़-मांस का ढांचा नहीं है। उसका असली स्वरूप तो ''मैं'' के रूप में विद्यमान यह चेतन सत्ता है...हमें अपने आपको इन्द्रियों के भ्रम तथा शब्दों के जाल से मुक्त रखना चाहिए। हममें ईमानदार तथा सत्य के लिए अविचल निष्ठा होनी चाहिए... हमें वहीं वस्तुएं स्वीकार होनी चाहिए जिनसे हमारी आत्मा ऊपर उठ सके।...अपने को टटोलें कि हम सत्य पथ पर हैं या नहीं? मैं सत्य का खोजी हूँ। मुझे अपने विषय में पूर्ण होने का दावा नहीं है...एथेंस की जनता को मेरा उपकार मानना चाहिए, क्यों कि मैंने उन्हें अंधविश्वासों के मुक्त होने का रास्ता दिखाया है।''

52 लोगों की सभा ने उनपर आरोप लगाया था कि वह मान्य देवी-देवताओं के विरुद्ध प्रचार करता है और युवा वर्ग को बहकाता है। इसकी सजा केवल मृत्युदण्ड है। उन्हें विष दिया गया लेकिन वे विष पीकर भी निर्भीकता एवं आनंद के साथ घूम रहे थे और जनता को अमर संदेश सुना रहे थे—''मेरा समय आ गया है। मुझे छुट्टी मिल चुकी है। मैं आशापूर्ण हृदय से जा रहा हूं। ये मेरी मृत्यु तू मेरे जीवन की पूर्णता है। मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं। तुमसे मिलने के लिए मेरी आत्मा छटपटा रही है।''

सुकरात के शिष्य उन्हें भगाकर ले जाने में सक्षम थे, लेकिन सुकरात ने स्वीकार नहीं किया। मुझे आचार्य कृपलानी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि ''सत्य और अहिंसा का रास्ता यह दुनिया आसानी से सहन नहीं कर सकेगी। जो इस दिशा में सक्रियता, निष्ठा और ईमानदारी से चलेंगे उन्हें शहीद होना ही होगा।'' प्रश्न यह है कि ग्रीस की उस नगरी में सत्य को निर्भीकता एवं विश्वास के साथ कहने और उसके लिए अपने को बलिदान करने का आध्यात्मिक साहस कहां से आया। वे भारत के नहीं थे और उन्होंने भारत के आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया था। इसी तरह महात्मा ईसा भी विशुद्ध एवं नग्न सत्य को लोगों के समक्ष निर्भीकता से कहते रहे और उस पर आचरण करते रहे। उस विशुद्ध अहिंसा के लिए उन्होंने खुशी से अपने प्राणों की बलि दे दी और सूली पर चढ़ने वाले को उन्होंने परमात्मा से क्षमा करने की प्रार्थना की। हजरत मोहम्मद का पूरा जीवन ईमान और भाईचारे के लिए समर्पित रहा, क्योंकि उन्हें उच्चतम कोटी का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ये दोनों भारत के नहीं थे।

गांधी को उत्कृष्ट आत्मिक ज्ञान के सभी पहलुओं का अनुभव विलायत में ही हुआ। जान रस्किन की पुस्तक 'अनटू दिस लास्ट' से ही उन्हें पक्का ज्ञान हुआ कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है, बुद्धि से काम करने तथा शरीर से श्रम करने वालों का पारिश्रमिक समान होना चाहिए, और किसान का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। उनकी इस पुस्तक ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। टॉलस्टॉय की पुस्तक 'दी किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' ने गांधी के जीवन के संदेहों को धो डाला। हिंसा और अहिंसा को लेकर वे अनिर्णय तथा भ्रम की स्थिति में थे। इसके पढ़ने से उन्हें अहिंसा में पूर्ण विश्वास हो गया, सारे संदेह धुल गये। ये दोनों भी भारत के नहीं थे।

रूस के इस विद्वान विचारक टॉलस्टॉय के जीवन पर गांधी ने प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं : ''टॉलस्टॉय के जीवन से मुझे तीन बातें मिलीं। (1) जो संदेश वे देते थे उसे व्यवहार में भी लाते थे। (2) जीवन की सादगी उनमें गजब स्तर की थी। विलासिता के जीवन में जी रहे टॉलस्टॉय जवानी में ही सब आराम तथा विलास की चीजों को त्याग दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वे अहिंसा के बहुत बड़े उपदेशक थे। पश्चिम में इसके पहले 'नान वाइलेंस' पर जीवन के सभी क्षेत्रों में और समुचित तौर पर, इतनी गहराई से आग्रह-पूर्वक किसी ने नहीं बोला, न उपदेश दिया। (3) ब्रेड लेबर—यह उनकी डॉक्ट्रीन थी, विश्वास था। लेकिन उनका जो विश्वास था वह प्रेक्टिकल में उनके जीवन में उतरता था। जीवन के किनारे आकर उन्होंने कृषि करने और जूता बनाने का कार्य किया। हर दिन 8 घंटे कड़ी मेहनत की। लेकिन इससे उनकी बुद्धि कुंठित नहीं हुई। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो समय बचता था उस समय में उन्होंने

पुस्तक लिखी 'ह्वाट इज आर्ट' जो उनकी मास्टरपीस कृति थी।

इस तरह नॉन वाइलेंस, कथनी-करनी में एकता, कठिन परिश्रम करके रोटी कमाना आदि बातों का गांधी के जीवन पर गहरा असर पड़ा, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। जब वे विलायत में बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उन्हें खोज करने पर मांस नहीं खाना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए, आदि विषयों पर खास साहित्य हाथ लगा जिसने उनके जीवन को दिश दी। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में 1849 में अमेरिका लेखक हेनरी थोरो मैसेच्यूसेट्स की एक पुस्तक 'दी ड्यूटी ऑफ सिविल डिसवोबेडिएन्स' (सविनय अवज्ञा का कर्तव्य) पढ़ने को मिली। इस तरह 'सविनय अवज्ञा' पर उनके विचार वहीं पर पक्के हो गये। यदि गांधी शुरू से ही भारत में रहते तो यहां के अध्यात्म में निहित सच के इन तत्त्वों को खोज ही लेते।

नेचर क्योर (प्राकृतिक चिकित्सा) का विज्ञान और ज्ञान विदेशों में ही विकसित हुआ। इकोलॉजी (पारिस्थितिकी) का विज्ञान और ज्ञान भी भारत में नहीं विकसित हुआ। भारत सदैव प्रकृति का सम्मान और मनुष्य का पोषण करता है, ऐसी आस्था रखने वाला देश रहा है।

भारत में हजारों वर्षों के आध्यात्मिक चिंतन-मनन के बाद भारतीय दर्शनों शिरोमणि वेदांत दर्शन (उत्तर मीमांसा दर्शन) ने आध्यात्मिक चिन्तन-पद्धति को विराम दे दिया क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, प्रकृति क्यों? वेदान्त दर्शन ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। उसमें से निकला ब्रह्मज्ञान और अद्वैत का विचार। सारी सृष्टि एक इकाई है, उसकी भीतर की सभी इकाइयां एक-दूसरे की पूरक हैं। जो ब्रह्म मुझमें है, वही तुममें भी है, सबमें है, अतः सबसे प्यार करो। ऐसे उदार दर्शन को लेकर आचार्य शंकर तथा विवेकानन्द ने मानव जाति को समझाने का प्रयास किया।

ईसा मसीह ने संदेश दिया कि जिस ईश्वर की पूजा करते हो वह तो अव्यक्त है। मानव-सेवा मानव-भक्ति की दृष्टि से ईसाई धर्म के तहत जगह-जगह सेवा मिशन भी स्थापित किये गये। दबे, कुचले, पीड़ित, लोगों की सेवा जो इसाई धर्म ने प्रस्तुत की वैसी पहले कभी नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

आचार्य विनोबा के शब्दों में, 'हमारे यहां भक्ति मार्ग बहुत चला पर उसके साथ समाज सेवा नहीं जुड़ी थी। ध्यान, पूजा आदि से ही भक्ति की इति हो जाती थी। उधर वेदांत में अद्धैत का विचार तो था, लेकिन उसके साथ कोई सेवा नहीं जुड़ी थी मात्र निर्गुण चिंतन था। इस तरह भक्ति मार्ग और वेदांत, दोनों सेवा के लिए अनुकूल होते हुए भी उन्हें सेवा का आधार नहीं मिला। यह सेवा का आधार इसाई-धर्म में है। रामकृष्ण मिशन ने इसाई धर्म से सेवा विचार की प्रेरणा लेकर उसे अद्धैत का अति सुंदर आधार दिया।'

मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यह तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद तथा गांधी के समय में बलवती हुई, जिसके मूल में ईसाई थे।

विवेकानंद और गांधी ने भारत की प्राचीन संस्कृति में अटूट श्रद्धा रखते हुए आशा व्यक्त की है कि वर्तमान परिस्थितियों में दुनिया को प्रकाश भारत से ही मिल सकेगा। पश्चिम के श्रेष्ठ चिंतक भी ऐसा ही मानते हैं। दुनिया के महापुरुष सच, ईमान, भाईचारा और मानवों से प्रेम के पुजारी रहे हैं, चाहे यह तत्त्व दुनिया के किसी कोने में मनुष्य को जागृतकर सके। गांधी ने आशय व्यक्त किया कि भारत में जन्मा हूं, यहां नैतिक, आध्यात्मिक सामग्री मौजूद है, जो मानव तथा विश्व के समग्र विकास के लिए जरूरी है और यह चीज मुझे दुनिया में कहीं पर दिखाई नहीं देती। मुरारजी देसाई ने आशय व्यक्त किया कि मैं बहुत बड़भागी हूं, क्यों कि मुझे दो चीजें मिलीं। एक, मैं भारत में जन्मा। दो, मैंने गांधी का सान्निध्य पाया। विनोबा ने आशय व्यक्त किया कि मुझे किसी देश, धर्म संस्कृति, जाति का अभिमान नहीं है, भारत में विचार-तत्त्व, संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं, वह सारी मानव जाति के हैं। विचार मनुष्य के अंतःकरण से निकलते हैं और दुनिया के हर मनुष्य के अंतःकरण में पाये जाते हैं, यदि उन्हें खोजा जाय तो हमें भारत नहीं, हमें चाहिए सच, वह जहां से भी मिले और हमें प्रेरणा दे सके। ❑

गांधीजन मुजफ्फरनगर में

हिंसाग्रस्त मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में शांति-सद्भाव के कार्य हेतु गांधीजनों की एक टीम मुजफ्फरनगर एवं उसके आसपास के जिलों का दौरा कर लोगों से शांति एवं सौहार्द कायम रखने की अपील की।

13-17 सितंबर, 2013 तक वरिष्ठ गांधीवादी अमरनाथ भाई, मधुसूदन उपाध्याय, अशोक भारत, सत्यप्रकाश भारत एवं पूनम उज्ज्वल ने मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं बिजनौर जिलों का दौरा किया और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उ. प्र. आचार्यकुल एवं रचनात्मक समाज के तत्त्वावधान में आयोजित 'सर्वपंथ एवं सर्वसमुदाय सभा' में शिरकत करते हुए लोगों से एकजुट होकर हिंसा त्यागने तथा शांति बहाल करने की अपील की। 18 सितंबर को सर्व सेवा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री राधा भट्ट एवं वरिष्ठ गांधीवादी डॉ. एस. एन. सुब्बाराव (भाईजी) ने मुजफ्फरनगर में 'सर्वधर्म प्रार्थना सभा' में भाग लिया। बाद में श्रीराम कॉलेज में छात्रों-शिक्षकों एवं नगर के बुद्धिजीवियों की सभा को संबोधित किया। **–अशोक भारत**

उत्तराखंड : विकास ने लिखी बर्बादी की दास्तान

❑ मेधा पाटकर

हम गांववासियों से घिरे हुए गोविंदघाट में खड़े थे और 50 फिट नीचे 20 मीटर चौड़ी अलकनंदा गड़गड़ाहट के साथ बह रही थी। लोग हमें बता रहे थे कि 16 जून की रात पानी बढ़ने लगा और इसकी कोई उद्घोषणा भी नहीं हुई तो पांडुकेश्वर, गोविंदघाट के ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि नदी का पानी सन् 2012 की तरह पार्किंग स्थलों को छूकर उतर जाएगा। सिक्खों के पावन तीर्थ हेमकुंड साहब व बद्रीनाथ की ओर जाने वाली लगभग 800 गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी थीं। स्थानीय तथा बाहरी लोगों द्वारा निर्मित होटलों में बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, यानी पर्यटन चरम पर था। रात करीब 1.30 पर पानी ने गाड़ियों में घुसना शुरू किया और सुबह 3 बजे बेहिसाब पानी में 3-4 मंजिला होटल भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सबकुछ एकदम अनपेक्षित।

प्रकृति को पढ़ने वाला स्थानीय समाज अब जान गया है कि इसमें प्रकृति से ज्यादा करामात है जेपी एसोसिएट्स की 300 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना की। जब ऊपर से बाढ़ आई तो जेपी ने रात 12 बजे कुछ गेट खोल दिए। यह पानी नीचे गांव में घूसा। बांध वालों ने बिजली से कमाई का नुकसान न हो ऐसा सोचकर गेट फिर बंद कर दिए। लेकिन पानी बांध और गेट (दरवाजे) तोड़कर ''बेहिसाब'' सैलाब जैसा निकल पड़ा। सभी स्थानीय एकमत हैं कि जेपी ने अपने टरबाइन बचाने के लिए यह खेल खेला। सिर्फ एक बार सायरन बजाया और इसके अलावा गांव, घर, होटल, खच्चरों और हजारों-हजार लोगों को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसी कारण परियोजना का विरोध करने वालों का गुस्सा उबल पड़ा। वैसे भी जे.पी. एसोसिएट्स राजनीतिक दादागिरी के लिए कुख्यात है। मध्यप्रदेश के रीवां में हुआ गोली चालन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार सरोवर में जे.पी. ने यूनियन लीडर नकरदास शाह पर जानलेवा हमला किया तथा गुजरात के बांध विस्थापितों के घरों पर भी हमला करवाया था। मैं भी बदनाम जेपी कंपनी को कोसते हुए अंदर ही अंदर सुलग सी रही थी और मेरे दिमाग में उनके द्वारा पहले किए गए कारनामे कौंध रहे थे।

नदी के उस पार 800 खच्चरों के साथ पर्यटक व पहाड़ी लोग 16 जून से अटके पड़े थे। उन्हें जैसे-तैसे खुराक तो पहुंचा दी गई, लेकिन एक भी पुल अभी तक नहीं बना है। उजड़े स्थानीय नागरिकों के अलावा होटल मालिक से लेकर छोटे दुकानदारों के साथ माटू जनसंगठन और जनआंदोलन समन्वयक विमल भाई भी धरने पर बैठे थे। हमारे आने की खबर, सेना और बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लग गई थी। उनके दो अधिकारी गोविंदघाट आये। हमने उनसे पूछा कि मात्र 20 मीटर चौड़ी नदी पर क्या रस्सी (रोप) पुल भी नहीं बन सकता था? वहां मौजूद पी. डब्ल्यू. डी. के एक अधिकारी ने हमें सच बात बता दी कि आदेश था कि उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही ध्यान देना है। मीडिया भी वहीं केंद्रित था और जैसे सबकुछ राहतभरे ट्रकों पर ही निर्भर था। 15 दिनों से यहां अटके 800 खच्चरों में से 40-50 मर चुके थे और अनेकों बीमार थे। अंततः उन्हें निकालने लायक पुल बनाया गया।

उत्तराखंड के पुल और रास्तों की कहानी भी यही त्रासदी बता रही है। इसी के साथ सच्चाई सामने आ रही है कि वर्तमान में बांध, बराज व जलविद्युत परियोजनाओं से भरे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में तो पैदल चलने की ही परंपरा है। लेकिन विकास के शुरू होते ही गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडी के बाद बनी सड़कें धीरे-धीरे लंबे-चौड़े राजमार्ग में बदल गयीं और जैसा नियोजन देशभर में चल रहा है वैसा यहां भी शुरू हो गया। जब मेहनत, हाथ-हथौड़े से यहां रास्ते बनाते थे तो उनकी बात ही अलग थी। छोटे-बड़े पत्थर तो यहां हमेशा ही गिरते रहते थे, लेकिन पहाड़ के पहाड़ जमींदोज नहीं होते थे। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से रोजगार नहीं, भू-स्खलन बढ़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यात्री तो बाहर निकल गए पर स्थानीय निवासी अब यहां कैसे रहेंगे?

पीपलकोटी के लोगों ने कहा कि हम लोग तो जैसे पलायन करने को ही पैदा हुए हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि विजन, 2020 के नाम पर सालभर के लक्ष्यों में सड़क की लंबाई के अलावा और कुछ नहीं होता। बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े तैयार किए जाते हैं। हर दल के अधिकारी को सालभर में 20 कि. मी. सड़क तक बनाने का दबाव होता है। ऐसे में जल्द पूरा करने के लिए ब्लास्टिंग करना जरूरी हो जाता है। इससे बजट और कमाई भी बढ़ती है। सभी लाभ पाने वाले खुश रहते हैं। पीडब्ल्यूडी हो या बार्डर रोड संगठन सब टेंडर निकालने में व्यस्त रहते हैं। गौरतलब है मशीनीकरण से जहां रोजगार कम हुआ है वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की अस्थिरता बढ़ गई है। हमें यात्रा शुरू किए अभी दो घंटे ही बीते थे कि चित्र एकदम से बदल गया। पहाड़ों से पत्थर गिरने से मोटर का आगे का रास्ता बंद हो गया। हम नीचे पत्थर हटा रहे थे तो ऊपर से पहाड़ पत्थर गिरा रहा था। अजीब सी जद्दोजहद हममें और पहाड़ में चल रही थी।

रास्ते का मसला और बांध की समस्या के बीच का संबंध उत्तराखंड जाकर ही समझा जा सकता है। अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों में लाखों टन मलबा गिरा पड़ा है। हिमालय की भुरभुरी मिट्टी ने बाकी सबकुछ मटियामेट

करने के अलावा 35 लाख लोगों को बेघरबार भी कर दिया है। लोगों का कहना है कि खेतों में 2 फूट तक सफेद रेत भरी है। इन्हें देखकर लगता है उत्तराखंड में मानो नदियों का तल ऊपर उठा है और पहाड़ नीचे आ रहे हैं। इसी के साथ हो रहा रेत खनन भी तल को उखाड़ रहा है। उत्तराखंड में हो रहा 50 प्रतिशत रेत खनन अवैध है। इसे किसी भी प्रकार की वैधानिक यहां तक कि पर्यावरणीय मंजूरी भी नहीं है। आपसी लोगों को बांटे गए इन ठेकों में फरवरी 2012 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक का उल्लंघन हो रहा है। अब तो 5 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश भी आ गया है। वैसे भी इस प्रक्रिया में निकली गाद फिर नदी में मिल जाती है। हमने देखा कि हादसे के 20 दिन बाद भी मशीनें नदी से गाद निकाल रही थीं।

उत्तराखंड की यह ''देवभूमि'' आज विचलित है। मुख्य पहाड़ से अलग हुए 20 फुट ऊंचे और 7-8 फिट चौड़े हिस्से देखकर अचंभा होता है और भय भी लगता है। क्या ऐसा पहाड़ फटने या ग्लेशियर के टूटने से हुआ होगा? आवश्यकता इस बात की है कि जलविद्युत परियोजनाओं की बारीकी से पड़ताल हो। यहां जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या 650 तक पहुंच गई है। विद्युत यानी विकास, लेकिन इसके दुष्प्रभाव उत्तराखंड से लेकर नर्मदा घाटी तक सब जगह छुपाए गए हैं। अब सोचना होगा कि क्या ये वास्तव में साफ सुथरी योजना हैं? इसके जंगल और पहाड़ पर प्रभाव भी आंकने हेतु उत्तराखंड की आवश्यकता से कई गुना अधिक बिजली बनाकर क्या सिद्ध किया जा रहा है?

इतना ही नहीं, 25 मेगावाट से कम की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का, कानूनन आवश्यक न होना भी बड़ी त्रुटि है। इसे दूर करना बेहद जरूरी है।

उत्तराखंड के प्रत्येक संवेदनशील हिस्से में 8 मीटर की चौड़ी सुरंगें 30 कि. मी. तक लायी गई हैं। योजना चाहे कितनी भी छोटी हो वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इस हेतु केरल की 10 मेगावाट की चालाकड़ी परियोजना या उत्तराखंड़ में स्वयं ही कई उदाहरण सामने आए हैं। 300 मेगावाट की विष्णुप्रयाग बांध की दीवार बह गई। अस्सीगंगा जैसी नदी पर बनाई कुछ छोटी परियोजनाएं नष्ट हो गयीं। एनटीपीसी की 520 मेगावाट वाली योजना भी बर्बादी का शिकार होकर बंद पड़ी है। आज भी पता नहीं चल पाया है कि कितनी परियोजनाओं में कुल कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहां बात सिर्फ आर्थिक हानि तक ही सीमित नहीं है।

आधुनिक विज्ञान, तंत्र ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय विकास का दबाव सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साफ दिखाई दे रहा है। नैनीताल में रह रहे एक भूगर्भशास्त्री ने इस दुर्घटना के 20 दिन पहले ही कहा था कि ''आप तो बम पर बसे हुए हैं।'' एक ओर रास्तों का जाल और दूसरी ओर जलविद्युत योजनाओं का जाल बिछाकर सरकार व एडीबी जैसी संस्थाएं बहेलिये जैसा व्यवहार कर हमारा सुंदर व शांत परिवेश हमसे छीन रही है। पूंजी लगाने की जल्दबाजी और उन पर राजनीति करने वाली सरकारें कोई भी समीक्षात्मक कार्य नहीं करतीं। वे उस इलाके की आर्थिक पर्यावरणीय, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान नहीं देतीं। एडीबी व विश्व बैंक जैसी संस्थाएं एकबार पुनः विशाल जलविद्युत परियोजनाओं के निजीकरण के एजेंडे पर कार्य कर रही हैं। वैसे स्नोडेन द्वारा की गई पोलखोल से थोड़ा छोटा रूप हमें उत्तराखंड में दिखता है। इन साहूकारों का अपना नियम और शर्तें यदि बाढ़ में बह भी गई हों तो भी उन्हें पकड़कर पूछना होगा कि यह सब कब और कैसे खतम होगा।

सारा विश्लेषण, शोध, चर्चा, बहस और लेखन चलता रहेगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता जो भुगत रही है, वह देखने-समझने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारी यह यात्रा हमें समझा रही थी कि धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन व्यवसाय में बदलने के क्या परिणाम निकल सकते हैं। पहाड़ पर गिल्डा (टोकरी) लेकर चढ़ने वाली महिला का जीवन व जीविका आज दोनों ही खतरे में हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड की लूट वास्तव में समृद्धि की लूट है। पिछले 20 वर्षों में पर्यटन बढ़ता गया और 70 से 80 प्रतिशत लोग उस पर निर्भर हो गए। मोटर वाहनों ने प्रकृति के नजदीक पैदल पहुंचने की परंपरा नष्ट कर दी। शराब से लेकर हर असामाजिक कृत्य इस देवभूमि में प्रवेश कर गया है। वैसे इस विभीषिका ने चर्चा के बहुत सारे नए आयामों को भी जन्म दिया है।

हमें सोचना होगा कि किस प्रकार ब्लास्टिंग न हो, पहाड़ों में सुरंगें न हों, जलविद्युत परियोजनाएं मर्यादा में रहें, भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी को पूर्णतया बांध में न बांधा जाए, मलबा नदी में न जाने दें, बाढ़ का पानी समाने के लिए बांधों के जलाशय खाली रखें। पर शासन-प्रशासन-ठेकेदार की यह तिकड़ी क्या ऐसा संभव होने देगी?

सब खतरे मोल लेते हुए उत्तराखंड पुनः एक बार नवनिर्माण आंदोलन की राह देख रहा है। बहुत सारे लोग जैसे विमला पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट, एन. डी. जुयाल, विमल भाई, सुरेश भाई, वंदना शिवा, रवि चोत्रा, शेखर पाठक व श्रीधरन जैसे लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं। आप भी उत्तराखंड के नवनिर्माण में सहायक हो सकते हैं।

याद रखिए यदि उत्तराखंड बचेगा तो देश बचेगा और शासन द्वारा निर्मित इस विपदा से मानव निर्मित कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता। *(सप्रेस)*

अब दूसरी तबाही की तैयारी

❑ विमलभाई

उत्तराखंड में मानसून के आरंभ में ही जो नुकसान हुआ है उसमें बांधों की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार ने लगातार बांधों में हो रहे पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की है। जिसका परिणाम है कि इस आपदा में बांधों के कारण नुकसान की मात्रा काफी बढ़ी। राज्य सरकार भविष्य में यह गलती न दोहराये और बांध कंपनियों को उनके दोषों की सजा मिले तभी उत्तराखंड का पर्यावरण और लोग सुरक्षित रह पायेंगे। हाल की बाढ़ में ये बांध असमय के बम साबित हुए हैं। टाईम बम का तो समय निश्चित होता है। किन्तु इन बांधों का कोई समय नहीं होता तबाही लाने के लिए।

16-17 जून की रात को बद्रीनाथ के नीचे अलकनंदागंगा पर बना जेपी कंपनी का बांध, दरवाजे न खोलने के कारण टूटा फिर नदी ने बांध के नीचे के क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई। लामबगड़, विनायक चट्टी, पाण्डुकेश्वर, गोविंदघाट, पिनोलाघाट आदि गांवों में मकानों, खेती, वन और गोविंदघाट के पुल के बहने से जो नुकसान हुआ उसका मुख्य कारण था समय रहते जयप्रकाश कंपनी द्वारा विष्णुप्रयाग बांध के दरवाजे न खोलना।

विष्णुप्रयाग बांध से ग्रामीणों की आवश्यकता के लिए पानी तक नहीं छोड़ा जाता था। 2012 के मानसून में इस परियोजना के कारण आई तबाही में लामबगड़ गांव के बाजार की दुकानें बह गई थीं। जे. पी. कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया। विष्णुप्रयाग बांध की सुरंग के ऊपर चांई व थैंग गांव 2007 में धस गये जिसके लगभग 30 परिवार आज भी बिना पुर्नवास के भटक रहे हैं।

इसी बांध के ऊपर जी. एम. आर. का अलकनंदा-बद्रीनाथ जविप (300 मेगावाट) प्रस्तावित है जिसके लिए वनभूमि का राज्य सरकार के वन विभाग ने 19 जुलाई तक हस्तांतरित नहीं किया था किंतु वन कटान का काम द्रुतगति से चालू हो गया था। वे पेड़ एवं मशीनरी अलकनंदागंगा में बहे। जिसने नीचे के क्षेत्र में तबाही लाने में बड़ी भूमिका अदा की।

इसी नदी में विष्णुप्रयाग बांधे से लगभग 200 कि. मी. नीचे, भागीरथीगंगा और अलकनंदागंगा के संगम देवप्रयाग से 32 कि. मी. ऊपर श्रीनगर में लगभग बन चुकी श्रीनगर परियोजना जविप (330 मेगावाट) के मलबे की वजह से बड़ी तबाही हुई। श्रीनगर परियोजना बिना किसी तरह से पर्यावरण स्वीकृति को सुधारे या बदलवाये 200 मेगावाट से 330 मेगावाट और बांध की ऊंचाई 65 से 95 मीटर कर दी गई। 1985 में 65 मी. बांध के साथ मेगावाट की बांध स्वीकृति में तमाम खामियां थीं। अनेकों मुकदमे उच्चन्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में इन्हीं विषयों पर चालू हैं। इन सब जगह उठाई गई आशंकाएं पूरी तरह से सिद्ध हुईं जब इस बांध का पांच लाख टन मलबा जिसे बांध के ठीक नीचे बिना सुरक्षा दीवार बनाये डाला गया था, पानी के साथ बह कर 70 घरों आदि में घुस गई। 16-17 जून, 2013 में ऊपर से आ रहे पानी से जलाशय का जलस्तर बढ़ने की परिस्थितियों का फायदा उठाकर श्रीनगर जलविद्युत परियोजना निर्माणदायी कंपनी जी. वी. के. के कुछ अधिकारियों द्वारा धारी देवी मंदिर को अपलिफ्ट करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा जो कि अगस्त, 2013 में प्रस्तावित था। इस दौरान बांध के गेट जो पहले आधे खुले थे उनको पूरा बंद कर दिया गया जिससे कि बांध की झील का जलस्तर बढ़ गया। बाद में पानी से बांध पर दबाव बढ़ने लगा तो बांध को टूटने से बचाने के लिए जी. वी. के. कंपनी द्वारा आनन-फानन में नदी तट पर रहने वालों को बिना किसी चेतावनी दिये बांध के गेटों को लगभग 5 बजे पूरा खोल दिया गया जिससे जलाशय का पानी प्रबल वेग से नीचे की ओर बहा। जिसके कारण जे0 वी0 के0 कंपनी द्वारा नदी के तीन तटों पर डंप की गई मक बही। इससे नदी की मारक क्षमता विनाशकारी बन गई। जिससे श्रीनगर शहर के शाक्तिविहार, लोअर भक्तियाना, चौहान मोहल्ला, गैस गोदाम, खाद्यान्न गोदाम, एस. एस.बी., आई.टी.आई., रेशम फार्म, रोडवेज बस अड्डा, नर्सरी रोड, अलकेश्वर मंदिर, ग्रामसभा, उफल्डा के फतेहपुर रेती, श्रीयंत्र टापू रिसोर्ट आदि स्थानों की सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपत्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुईं।

अलकनंदागंगा की सहयोगिनी मंदाकिनी में छोटी से लेकर बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं जैसे फाटा-ब्योंग और सिंगोली-भटवाड़ी का भी यही हाल हुआ। बांधों के निर्माण में प्रयुक्त विस्फोटकों, सुरंग और पहाड़ के अंदर बने विद्युतगृह व अन्य निर्माण कार्यों से निकला मलबा हाल की तबाही का बड़ा कारण बना। चूंकि इन सब कार्यों पर किसी भी तरह की कोई निगरानी का गंभीर प्रयास सरकार की ओर से नहीं हुआ। एक आकलन के अनुसार बांध परियोजनाओं से 150 लाख घनमीटर मलबा नदियों में बहा है। इस मलबे ने पानी की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाया है।

विष्णुप्रयाग और श्रीनगर इन दोनों ही परियोजनाओं से हुई बर्बादी के बाद बांध कंपनी के व्यवहार में एक समानता थी। जे. पी. और जी.वी.के. कंपनी के किसी भी कर्मचारी-अधिकारी ने आकर लोगों का हाल नहीं पूछा। सरकारी अधिकारियों का भी यही रवैया था।

यहां प्रभावित याचक और सरकार दानी बने।

मात्र 10 महीने पहले उत्तराखंड में गंगा की दोनों मुख्य धाराओं भागीरथीगंगा की अस्सीगंगा घाटी और अलकनंदागंगा की केदारघाटी में अगस्त और सितंबर महीने, 2012 में भयानक तबाही हुई। भागीरथीगंगा में 3 अगस्त, 2012 को अस्सी गंगा नदी में बादल फटने के कारण निर्माणाधीन कल्दीगाड व अस्सी गंगा चरण एक व दो जलविद्युत परियोजनाओं ने तबाही मचाई और भागीरथीगंगा में मनेरी भाली चरण दो के कारण बहुत नुकसान हुआ। अस्सीगंगा के गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए, छोटे-छोटे रास्ते टूटे, अस्सीगंगा घाटी का पर्यावरण तबाह हुआ जिसकी भरपाई में कई दशक लगेंगे। जिसमें मारे गये मजदूरों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला। मनेरी भाली चरण दो का जलाशय पहले ही भरा हुआ था और जब पीछे से तेजी से पानी आया तो उत्तराकाशी में जोशियाड़ा और ज्ञानसू को जोड़ने वाला मुख्य बड़ा पुल बहा। बाद में अचानक बांध के गेट खोले गए, तब नीचे की ओर हजारों क्यूसेक पानी अनेकों पैदल पुलों को अपने साथ बहा ले गये। मनेरी भाली चरण दो के जलाशय की बायीं तरफ जोशियाड़ा और दाईं तरफ के ज्ञानसू क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें बुरी तरफ क्षतिग्रस्त हो गईं। तथाकथित सुरक्षा दीवारें, बांध का जलाशय भरने के बाद बनाई गई दीवारों को बनवाने के लिए लोगों ने काफी संघर्ष किया था। दीवारें पूरी नहीं बन पाई थीं। इस वर्ष की वर्षा में जोशियाड़ा का सैकड़ों मीटर लंबा और दसियों मीटर चौड़ा क्षेत्र भागीरथीगंगा में बह गया जिसका कारण काफी हद तक मनेरी भाली चरण दो का जलाशय ही है।

13 सितंबर, 2012 को उखीमठ तहसील मुख्यालय के चार कि. मी. के दायरे में एक साथ छः स्थानों पर बादल फटने की घटना से चारों तरफ तबाही मचा दी। यहां एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी द्वारा पोषित कालीगंगा प्रथम, द्वितीय और मद्महेश्वर जलविद्युत परियोजनायें बन रही हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के कारण ही अनेक गांवों की स्थिति खराब हुई है।

जो बांध टूटे हैं उन बांध कंपनियों की चिंता है कि कैसे भी बांधों की मरम्मत का काम शुरू किया जाये। वे भी सरकार से आपदा के तहत सैकड़ों रुपयों की मांग कर रही हैं। जबकि बांध कंपनियों ने सुरक्षा प्रबंधों की पूर्ण अनदेखी की है। बांधों के खिलाफ लगातार आंदोलन चले हैं। किंतु हरबार विकास विरोधी का तगमा देकर और कुछ लोगों को रोजगार देकर विरोध को छल-बल से दबा दिया जाता रहा । आज वहां की बर्बादी पर ''विकास'' के समर्थक मौन हैं।

हमारी मांग है :

(1) अलकनंदा नदी पर बनी, विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट), (2) श्रीनगर जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट), अस्सी गंगा पर निर्माणाधीन (3) कल्दीगाड जलविद्युत परियोजना व (4) अस्सी गंगा चरण एक (5) अस्सी गंगा चरण दो जलविद्युत परियोजनाओं, भागीरथीगंगा पर बनी (6) मनेरी भाली चरण दो जलविद्युत परियोजनाओं, कालीगंगा पर (7) कालीगंगा चरण प्रथम (8) कालीगंगा चरण द्वितीय और मद्महेश्वर नदी पर (9) मद्महेश्वर जलविद्युत परियोजनाओं मंदाकिनी नदी पर (10) फाटा ब्योंग जलविद्युत परियोजना (11) सिंगोली भटवाड़ी जलविद्युत परियोजना की निर्माता कंपनियों पर उपरोक्त तबाही के लिए राज्य सरकार द्वारा आपराधिक मुकदमे कायम किये जायें। ❑

गांधीजनों की अपील

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में मानवता को शर्मसार करने वाली हिंसक घटना से देशभर के हम गांधीजन दुःखी एवं मर्माहत हैं। जीवनभर एक साथ पड़ोसी की तरह रहनेवाले इनसानियत को भूलकर ही ऐसे हिंसक कृत्य कर सकते हैं। हमारा निवेदन है कि झूठी प्रतिष्ठा के लिए उपजे क्रोध को शान्त करें। ईश्वर व अल्लाह की सृष्टि यानी मनुष्यों के प्राण लेने जैसे क्रूर कर्म को संकल्पपूर्वक त्याग दें। संकट की इस घड़ी में हम लोग सभी पक्षों से संयम, शांति एवं सौहार्द कायम करने की अपील करते हैं। हम इन हिंसक घटनाओं में हुए जानमाल के नुकसान के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा ईश्वर एवं अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करे।

हम शासन एवं प्रशासन से सभी पक्षों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाकर इनपर विधि-सम्मत त्वरित उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। सरकार एवं प्रशासन के स्तर पर उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाने की मांग करते हैं ताकि हिंसक मनोवृत्ति फैलने न पाये और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

हम सरकार, प्रशासन एवं सभी समुदायों से शांति की स्थापना के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील करते हैं।

डॉ. एस.एन. सुब्बाराव संयोजक, सर्वोदय समाज

अमरनाथ भाई पूर्व अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ

सुरेन्द्र कुमार मंत्री, गांधी शांति प्रतिष्ठान

डॉ. रामजी सिंह ट्रस्टी, सर्व सेवा संघ

राधा भट्ट अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ

स्वदेशी को अपनायें : सुधरेगा चीन

❑ आदिल खान

यदि हम इतिहास के पंनों को पलट कर देखें तो हमें पता चल जायेगा कि भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने यहां पर पूर्व नियोजित व्यापार की नीति को अपनाया था। भारत में व्यापारी के वेश में आये अंग्रेजों ने पहले भारतीय बाजारों पर कब्जा किया फिर हमारे मुल्क को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाये रखा। अंग्रेजों के पदचिंहों पर चलते हुए चीन भी उस नीति का जमकर फायदा उठा रहा है। एक ओर उसके मशीनरी उत्पादों ने भारतीय उत्पादों की कमरतोड़ रखी है तो दूसरी ओर चीन नियंत्रण रेखा का बार-बार उल्लंघन करते हुए भारतीय जमीन पर अनैतिक कब्जा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

भारत के संयम का माखौल उड़ाते हुए 15, अप्रैल 2013 को चीन के करीब 50 सैनिक नियंत्रण रेखा को अवैध तरीके से पार करते हुए भारतीय क्षेत्र में 19 किलोमीटर तक भीतर घुस आये। और तो और अपने दुस्साहस का परिचय देते हुऐ 5 सैनिक शिविर भी हमारी धरती पर लगा लिये। बावजूद इसके सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि चीन की इस नापाक हरकत का विरोध करते हुए हमारे देशवासियों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन अपने-अपने तरीके से किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि चीन का विरोध करने वाले भारतीय लोगों के हाथ में चाइनीज मोबाइल, कलाई में चाइनीज घडियां, आंखों पर चाइनीज चश्मे और पैरों मे तड़क-भड़कयुक्त चाइनीज जूते थे। आखिर यह कैसा विरोध प्रदर्शन था जहां एक ओर हम चीन के झण्डों को जला रहे थे और दूसरी ओर चाइनीज उत्पादों से लैस होकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे थे।

विश्व परिदृश्य में भारत और चीन दो उभरती हुई ताकतें हैं। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर सक्षम और संपन्न हो। भारत के प्रति चीन का दृष्टिकोण संदिग्ध है। वह 1965 से ही भारत पर गिद्ध दृष्टि अपनाये हुए है। ऊपर से भातर के मुख्य शत्रु देश पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां हमें सावधान होने का संकेत दे रही हैं। मगर हमारी कूटनीतिकता और ढुलमुल रवैया के कारण चीन ने भारतीय बाजारों को चाइनीज उत्पादों का गढ़ बना लिया है। भारतीय बाजारों में चाइनीज उत्पाद वैध व अवैध तरीके से धड़ल्ले से विक्रय किये जा रहे हैं। भारत के प्रमुख बाजारों में भारतीय उत्पादों की अपेक्षा चीनी उत्पादों का अधिक प्रचार-प्रसार है। देश में शायद की कुछ ऐसे घर होंगे जहां चाइनीज टी. वी., रेडियो, घड़ी, पंखा, टेबिल लैम्प, कैल्कुलेटर, कप-प्लेट, खिलौने से लेकर सिर-दर्द का बाम न प्रयोग किया जाता हो। हद तो इस बात की है कि हमारे देश में चाइनीज पेन और कॉपी भी आ चुकी हैं। अब सोचिये कि चीन के झण्डों को जलाकर हम उसका कैसा विरोध कर रहे हैं? विश्व में भारत चीनी उत्पादों का प्रयोग करने वाला प्रमुख देश है। यदि हम चीन के उत्पादों का खुला बहिष्कार करेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जायेगी और परोक्ष रूप से उसे सीमा पर की गयी अपनी गलती का अहसास हो जायेगा। साथ ही भारत के संयम का माखौल बनाने का सबक भी मिल जायेगा।

हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ' का नारा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के कोने-कोने में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी थी और चरखा चलाकर सूत के बने शुद्ध देशी कपड़ों को प्रोत्साहित किया गया था। संकट की इस घड़ी में भारत को चाहिए कि वह चीनी उत्पादों का आयात पूर्णतः बंद करके चीन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दे। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति जब सरल से सख्त हो जायेगी तो चीन को नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की गलती का अहसास ठीक तरह से हो जायेगा। जिस दिन भारत चीनी उत्पादों का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा उसी दिन से चीन भारत में प्रवेश करने की अपनी मंशा में सुधार कर लेगा। ❑

45वां सर्वोदय समाज सम्मेलन

सर्वोदय समाज का 45वां सम्मेलन 23 से 25 अक्टूबर तक आगरा में हो रहा है।

***सम्मेलन स्थल** : शिल्पग्राम, ताजनगरी, आगरा।*

यह स्थान आगरा छावनी रेलवे स्टेशन से 10 कि.मी. एवं आगरा किला रेलवे स्टेशन से 7 कि.मी. है। इन दोनों स्टेशनों पर 22 से 23 अक्टूबर को आगन्तुक प्रतिनिधियों की सहायता के लिए स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे। प्रतिनिधियों को रेलवे स्टेशन से सम्मेलन स्थल तक ले जाने के लिए स्वागत समिति की ओर से यथासंभव बसों की व्यवस्था की जा रही है।

आगरा छावनी रेलवे स्टेशन से सम्मेलन स्थल का ऑटो रिक्शा किराया करीब 100 रुपये है। सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि अपने साथ ओढ़ने-बिछाने की चादर अवश्य लायें।

आप कब, कौन-सी गाड़ी से एवं कितने लोग आ रहे हैं, इसकी सूचना सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम-442102, जिला-वर्धा (महाराष्ट्र), फोन : 07152-284061 को अवश्य दें।

आवश्यकता पड़ने पर आगरा के इन नंबरों पर सम्पर्क किये जा सकते हैं :

श्री संजय खेरवार-9319104450, श्रीमती सोनम खेरवार-9557531029, श्री सतेन्द्र यादव-9412259485, श्री चन्द्रमोहन पाराशर-9456252253/9058004932।

*कानपुर की ओर से आनेवाली कई गाड़ियां आगरा नहीं आतीं। गाड़ियों से आनेवाले प्रतिनिधि **टुंडला जं.** उतरें। वहां से आगरा मात्र 30 कि.मी. है एवं दिनभर गाड़ियां तथा बसें मिलती रहती हैं।*

–संयोजक, सर्वोदय समाज

रपट

सर्व सेवा संघ रचना समिति का कार्य विवरण

(अप्रैल से अगस्त, 2013 तक)

पटना में संपन्न अधिवेशन के समय रचना समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक संघ अध्यक्षा सुश्री राधा बहन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वश्री अशोक भारत, अविनाश भाई, अमरनाथ भाई के अतिरिक्त धनंजय राय, संजय सिंह, चन्द्रशेखर, शत्रुघन झा, रमेशचन्द्र, रामायण प्रसाद, चन्दनपाल की उपस्थिति रही।

विभिन्न सघन क्षेत्रों से आये साथियों ने अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण रखा।

श्री चन्द्रशेखर ने सुपौल क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण रखते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीज और पानी बचाने के साथ-साथ मिट्टी बचाने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही गौ-वंश को भी बचाने का कार्य हाथ में लिया गया है। इस संबंध में क्षेत्र के किसानों की 2 बड़ी-बड़ी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 56 किसानों ने देशी बीज का ही प्रयोग करने का निर्णय लिया है। अभी तक क्षेत्र में 26 प्रकार के देसी बीजों का संग्रह किया है। सुपौल विधान सभा क्षेत्र में 2-3 माह में बैठकें की जाती हैं। 19 गांवों में नशाबंदी का काम महिला संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। महिला संगठन में शिक्षिकाएं तथा सरपंच सदस्य हैं।

धनंजय राय ने बलिया, उत्तर प्रदेश के अपने क्षेत्र का कार्य विवरण देते हुए कहा कि हम अपने क्षेत्र के विद्यालयों में एन. एस. एस. के माध्यम से छात्रों के बीच काम कर रहे हैं। कुछ गांवों जैसे धनौती, लिहतरा आदि में ग्राम स्वराज्य के संबंध में चर्चा की गयी है। वर्मी कम्पोस्ट का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

अविनाश भाई ने सोहरिया (पूर्वी चम्पारण) सघन क्षेत्र के संबंध में अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहा कि उस क्षेत्र में 1-2 गांव में नहीं बल्कि व्यापक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। पहले बताया गया था उस क्षेत्र के 1 गांव की महिलाओं ने सामूहिक निर्णय कर गांव को शराब मुक्त किया। इसी प्रकार अन्य गांवों में भी काम करने की आवश्यकता है। अभी वहां ग्राम स्वराज्य की जानकारी भर हुई है। विशेष कुछ हुआ नहीं है। लोकशक्ति के माध्यम से पंचायत को फेस करने का प्रयास है।

रमेश चन्द्र व रामायण ने कहा कि हम कृषि व वस्त्र स्वावलंबन के कार्यों को शुरू करना चाहते हैं। कपास उगाने का प्रयास है। पिछले कैम्प के परिणामस्वरूप गांव में सफाई का कार्यक्रम प्रमुख रूप से चल रहा है। अप्रैल, 2014 में अविनाश भाई की यात्रा पुनः हमारे क्षेत्र में होगी। उस समय गांवों में ग्राम स्वराज्य, ग्राम सभा गठन का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है।

संजय सिंह ने छतरपुर ग्राम स्वराज्य सघन क्षेत्र की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहां कृषि को माध्यम बनाकर कार्य किया जा रहा है। अभी 15-16 गांवों में बड़ी-बड़ी मशीनों को रोकने का काम किया गया है। पानी बचाने का काम भी हाथ में लिया गया है।

सुश्री राधाबहन ने कार्य-विवरण सुनने के बाद कहा कि मैंने आपसे जो भी कार्य-विवरण सुना है यह ग्राम स्वराज्य का काम नहीं है। ऐसे काम तो हम करते ही रहे हैं, मुख्य काम है गांव-गांव में ग्राम स्वराज्य, ग्रामसभा का गठन। हम ग्रामसभा में बैठकर केवल समस्याओं पर ही विचार नहीं करेंगे बल्कि उसमें संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमें लोकशक्ति को खड़ा करना है। लोकशक्ति प्राप्त होती है लोकसत्ता से। लोकसत्ता के लिए गांवों में ग्राम स्वराज्य, ग्रामसभा का गठन आवश्यक है। इसलिए लोकशक्ति को विकसित करने पर हामरा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।

चंदनपाल, अमरनाथ भाई ने भी बैठक में अपने विचार रखे। उनका कहना था कि ग्राम स्वराज्य, ग्रामसभा की माह में 1 बैठक करने का निर्णय किया जाना चाहिए। चंदनपाल ने कोकराझार (असम) में चल रहे कार्य की संक्षिप्त जानकारी दी।

29 से 31 मार्च तक गुजरात के अहमदाबाद जिले में सुश्री उषाबहन के संयोजन में लवाड में तीन दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले दिनों यहां भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध ग्रामवासियों ने सफल आंदोलन किया था। अब उस आंदोलन को ग्राम स्वराज्य की ओर मोड़ने का प्रयास सुश्री उषा बहन पंडित व श्री बीनूभाई अमीन कर रहे हैं। उनके काम को गति मिले इस दृष्टि से मैं तथा श्री अमरनाथ भाई तीन दिन क्षेत्र में रहे।

पूर्व निर्णय के अनुसार अप्रैल माह में सोहरिया न्याय पंचायत में श्री अविनाश भाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वे वहां 21 अप्रैल से 1 मई तक रहे। इस बीच विभिन्न गांवों में ग्राम स्वराज्य, ग्रामसभा गठित करने के विचार को गांव के सम्मुख रखा। इस काम में बड़ी बाधा ग्रामवासियों का बैठक में न आना है। जो आते हैं वे संख्या में इतने कम होते हैं कि ग्रामसभा के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समस्या से कैसे निजात पायी जाय, यह विचारणीय प्रश्न है।

मई के अंत में असम में श्री हेमभाई के जन्मस्थान पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में श्री हेमभाई द्वारा लिखित दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष एकत्र हुए थे। उनके मध्य ग्राम स्वराज्य की बात रखते हुए स्वास्थ्य स्वावलंबन की चर्चा की। श्री अमरनाथ भाई ने 'वर्तमान संकट तथा उससे मुक्ति का रास्ता' विषय पर विचार रखा।

11 से 19 जून तक कुमायुं क्षेत्र में जल-जंगल-जमीन अधिकार अभियान यात्रा में सहभागी रहा। इसी यात्रा के मध्य उत्तराखंड में वर्षा से भीषण तबाही हुई। 16 जून को हमारी टोली पिथौरागढ़ में ही थी। जहां भीषण वर्षा के कारण भयंकर तबाही की खबरें हैं। उत्तराखंड में अभियान यात्रा दो टोलियों में बंटकर की गयी।

29 से 31 जुलाई तक भागलपुर, बिहार के ग्राम मुकन्दपुर में आयोजित 3 दिवसीय शिविर में भाग लिया। ज्ञात हो जून में इसी गांव में राष्ट्रीय युवा संगठन का शिविर आयोजित हुआ था। शिविर के फलस्वरूप यहां 15-20 युवा-युवतियों का एक अच्छा समूह ग्राम स्वराज्य कार्य के लिए संगठित हुआ है। इस गांव के प्रौढ़ तथा बुजुर्ग पुरुषों तथा महिलाओं का भी उनको समर्थन तथा सहयोग मिलता है। अभी 28 जुलाई को ही गांव के निवासियों ने मिलकर सड़क की दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया है। आगे 5-7 दिन का स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की मांग हुई है।

श्री जयवंत मठकरजी ने भी 8 अक्टूबर से 7-8 दिन के लिए स्वास्थ्य स्वावलंबन का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करने के लिए कहा है।

–डॉ. सच्चिदानन्द,
संयोजक, रचना समिति

जी. डी. अग्रवाल : लोकतंत्र का झण्डाबरदार

देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रो. जी. डी. अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद की बिना जमानत रिहाई के आदेश दे दिया है। जी. डी. अब जेल से मुक्त हैं। अनशन जारी है। नदी प्रेमियों में खुशी का माहौल है। जी. डी. 13 जून से मातृसदन, हरिद्वार की कठिन तपस्थली में अनशन पर हैं। हरिद्वार प्रशासन ने अनशन की अवमानना करते हुए इसे आत्महत्या का प्रयास करार दिया था। हरिद्वारा के कनखल पुलिस थाने में धारा 309 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के नाम पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ले जाया गया था। वहां से लौटने पर जी. डी. को 14 अगस्त तक हरिद्वार की रोशनाबाद जेल की अंधेरी कोठरी में पटक दिया गया।

यह कानून के दुरुपयोग और असहमति जताने के अहिंसात्मक तरीकों पर प्रहार जैसा कदम था। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार अलोकतांत्रिक है। जलपुरुष राजेन्द्रसिंह ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री रमेश शर्मा ने इसे असहमति जताने के अहिंसक तरीकों पर प्रहार बताते हुए निंदा की। श्रीमती मधु भादुड़ी, पर्यावरणविद् डॉ. भारतेंदु प्रकाश ने गंभीर चिंता जताई। इससे कुछ आत्मायें हिलीं जरूर, लेकिन बात बहुत बनी नहीं।

जी. डी. द्वारा जमानत लेने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दी गई थी। मातृसदन, हरिद्वार के स्वामी दयानंद की अपील पर जी. डी. को जेल में ही अलग रखे जाने की व्यवस्था करने का एक आदेश स्थानीय कोर्ट द्वारा दिया गया था। लेकिन असल काम किया मातृसदन की पहल पर दायर स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद की सिविल याचिका संख्या 200 (वर्ष 2013) ने। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति श्री विक्रमजीत सेन की पीठ में पेश की गई। निस्संदेह याचिका पक्ष के वरिष्ठ वकील सर्वश्री के. टी. एस. तुलसी, पर्यावरण वकील एम. सी. मेहता तथा कुबेर बुद्ध व डॉ. कैलाश चंद की भूमिका इसमें महत्त्वपूर्ण रही।

याचिका में गंगा स्वच्छता तथा गंगोत्री से उत्तरकाशी तक पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित क्षेत्र के संरक्षण की अपील की गई थी। अपील में कहा गया था कि चूंकि स्वामी सानंद एक संन्यासी हैं और उनके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं हैं कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए रुपये 15 हजार की जमानत ले सकें। याचिका पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया था कि अनशन का मकसद सिर्फ सरकार का ध्यान प्रदूषण और गंगा के लुप्त होने की संभावना की ओर आकर्षित करना है। स्वामी सानंद का आत्महत्या का इरादा नहीं है।

गौरतलब है कि माननीय पीठ ने याचिकाकर्ता की 81 वर्ष की उम्र और उनके गंगा के लिए सरोकार को सम्मान देते हुए आदेश दिया है— ''याचिकाकर्ता को बिना जमानत सिर्फ उनके द्वारा 'आत्महत्या का कोई इरादा नहीं' संबंधी वचन के आधार पर रिहा किया जाये।''

यह आदेश प्रशासन के झूठ को सच प्रमाणित करता है। जी. डी. की मांग अभी भी वहीं है। इसलिए अनशन अभी भी जारी है।

जी. डी. पर दर्ज मामले के संदर्भ में खुद को नदी संरक्षण और लोकतंत्र का झंडाबरदार बताने वाले हमारे समाज ने अपना उत्तरदायित्व निभाने में पूरी कोताही बरती है। अंततः अदालत ने ही राहत दी। अब आगे चुनौती है, जी. डी. के संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने की। जी. डी. के संकल्प के लिए न सही, अपने राष्ट्र की देवनदी, राष्ट्रीय नदी, अस्मिता, आस्था और आजीविका के लिए सही। **–अरुण तिवारी**

समाज-सुधारक डॉ. दाभोलकर नहीं रहे

समाज-सुधारकों के पथानुगामी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की नृशंस हत्या 22 अगस्त, 2013 को आखिर हो कैसे गई? दाभोलकर की सुरक्षा की जाए, यह बात राज्य या केंद्र सरकार को कभी क्यों नहीं सूझी? दांभोलकर पर 14 मुकदमे चल रहे थे और उनसे 14 करोड़ का हर्जाना मांगा जा रहा था। उन्हें रह-रहकर मौत के घाट उतारने की धमकियां दी जा रही थीं लेकिन सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की। नतीज यह कि राष्ट्र ने एक महान समाज-सुधारक खो दिया।

दाभोलकरजी पेशे से डॉक्टर थे लेकिन उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर समाज-सुधार का बीड़ा उठा लिया था। उनके परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनकी डॉक्टर पत्नी ने ले ली थी। उनका एक ही ध्येय था कि समाज से पाखंड दूर किया जाय। धर्म की आड़ में जो अंध-श्रद्धा फैलाई जाती है, जादू-टोने किए जाते हैं, भोले-भाले लोगों को ठगा जाता है और औरतों पर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी पोल खोलना और उनसे सीधी मुठभेड़ करना ही उनका लक्ष्य था। दाभोलकर धर्म या ईश्वर विरोधी नहीं थे लेकिन इनके नाम पर चलने वाले ढोंग और पाखंड की जड़ें उखाड़ने वाले लोगों में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। उन्होंने महिलाओं के मंदिर-प्रवेश के लिए भी कई आंदोलन किए और कानूनी लड़ाई भी लड़ी। चमत्कारों का दावा करनेवाले बाबा, गंडा-ताबीज बांटने वाले साधु-संत, ज्योतिष के चकमे देने वाले पंडित लोग और तंत्र-मंत्र के दुकानदार दाभोलकर का नाम सुनते ही पसीने से तर हो जाते थे। दाभोलकर की इस शक्ति के कारण ही कुछ लोगों और संगठनों ने यह गलतफहमी फैलाई थी कि वे हिंदुत्व के दुश्मन हैं। कुछ हिन्दुत्ववादी संस्थाओं ने उन पर हमले भी किए। वास्तव में हमले निहित स्वार्थी तत्त्वों ने किए थे।

इन तत्त्वों से लड़ने के लिए दाभोलकर के प्रयत्नों से महाराष्ट्र विधानसभा में अब से 18 साल पहले एक अंध श्रद्धा उन्मूलन विधेयक भी लाया गया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने घोषणा की है कि वे इसे जल्दी ही कानून का रूप देंगे। अध्यादेश बन गया है। दाभोलकर दरअसल ज्योतिबा फुले के शिष्य थे। उन्होंने अपने अध्यवसाय से 'साधना' नामक पत्रिका को पुनर्जीवन दिया। वास्तव में दाभोलकर 19वीं सदी में प्रारंभ हुए भारत के अधूरे नव-जागरण को परिपूर्णता की ओर ले जानेवाले सामाजिक अग्रदूत थे। वे राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद, रामास्वामी नाइकर, ज्योतिबा फूले और डॉ. आंबेडकर जैसे समाज-सुधारकों के पथानुगामी थे। **–डॉ. वेद प्रताप वैदिक**

तरुणाई की उतुंगतम उड़ान

❑ जयप्रकाश नारायण

सत्ता और पक्ष की प्रचलित राजनीति मैंने क्यों छोड़ी और आज उसकी अपेक्षा कितनी विशाल जनता की राजनीति में मैंने अपने आपको लगा दिया है। मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि मेरे कल्पित आदर्शों की सिद्धि इसी रास्ते अधिक अच्छी तरह हो सकती है। जहां हमें जाना है, मानव कल्याण का जो ध्येय सिद्ध करना है। जैसा मानवीय समाज हमें बनाना है, वह आज की संकीर्ण राजनीति द्वारा सम्भव ही नहीं है।

मेरी समझ में नहीं आता कि सत्ता में चले जाने मात्र से ही कैसे राष्ट्र की सेवा हो जायेगी? क्या पार्लियामेण्ट में चले जाना या मंत्री बन जाना ही राजनीति है? वास्तव में जनता की विशाल राजनीति तो उसके बाहर पड़ी है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि दूसरे लोग पक्ष और सत्ता की राजनीति के कुएं में डुबकी लगा रहे हैं, जब कि मैं जनता की राजनीति-लोकनीति के विशाल सागर में तैर रहा हूं।

सामाजिक जीवन में आया तब से ही राजनीति में रहा हूं। सर्वोदय के क्षेत्र में तो बाद में आया। इसलिए यह राजनीति मेरे लिए अपरिचित नहीं है। इसलिए मुझे यदि ऐसा लगता होता कि इस देश का प्रधानमंत्री बनकर मैं कुछ कर सकूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह नहीं जानने जितना मैं बुद्धू नहीं हूं।

सन् 1945 में जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात कही। उनके शब्द अभी भी मुझे याद हैं उन्होंने कहा कि 'तुम्हारी बहादुरी का लाभ ले लेना चाहता हूं'।

आज मैं जो काम कर रहा हूं, उसे मैं अपने अब तक के सभी कामों में सबसे अधिक महत्त्व का मानता हूं। अच्छी तरह सोचकर, दुनिया में जो सब चलता है, उसे समझ-बूझकर, जिसे राजनीति कहते हैं, उनका भी पूरा अनुभव लेकर मैं इस काम में पड़ा हूं। और यह कार्य मैं कर रहा हूं, इसका मुझे संतोष है।

इस सत्ता और दलगत राजनीति से आज भी जो लोग आशा रखते हैं, वे तो सूखी हड्डियां चूस रहे हैं और अपने ही रक्त का आस्वादन कर तृप्त हो रहे हैं। यह राजनीति तो गिर रही है, आगे और भी गिरेगी। टूट रही है, और भी टूटेगी, फूटेगी, छिन्न-भिन्न हो जायेगी। तब इसके तलबे के ऊपर एक नयी बुनियाद से नयी राजनीति जनमेगी, जो इससे सर्वथा भिन्न होगी। नाम भी उसका भिन्न होगा; वह लोकनीति होगी, राजनीति नहीं। वह ऊपर से नहीं बनेगी, नीचे से बनेगी, दिल्ली से नहीं, गांव-गांव से, मुहल्ले-मुहल्ले से। उसके लिए न्यूनतम पार्टी का साइनबोर्ड टांग देना काफी नहीं होगा और न काफी होगा राजनीति के रंगमंच पर एक नूतनतम नेता का अवतरण! वह तो जनशक्ति के गर्भ से पैदा होगी।

गत वर्षों में 'सत्ता द्वारा सेवा' की अयोग्यता और असारता का काफी अनुभव इकट्ठा हो गया है, इसलिए सेवा के लिए उत्सुक देश-भक्त व्यक्तियों को बड़ी-से-बड़ी संख्या में अब सर्वोदय के क्षेत्र में आ जाना चाहिए। आज ऐसे सैकड़ों, हजारों लोक-सेवकों की आवश्यकता है।

हमें सेवकों की एक ऐसी फौज खड़ी करनी होगी, जो भारत के लाखों गांवों में जागृति का संदेश लेकर फैल जायं। उन्हें लोक-सभा या विधान-सभा में जाने का मोह नहीं होगा। उन्हें कुर्सी की आवश्यकता नहीं होगी, न वे पंचायत में जाना चाहेंगे, न म्युनिसिपैलिटी में। वे जनता के पास वोट मांगने नहीं, बल्कि सेवा करने जायेंगे। बहुत मुसीबत है आज गांव के लोगों की। शहर के लोगों को यों तो गांवों में जाने की फुरसत कहां मिलती है? लेकिन वोट मांगने के लिए जरूर जाते हैं। जो जाता है वह वोट ही मांगता है। भोली-भाली जनता समझ भी नहीं पाती कि किसे वोट दिया जाय, ऐसी हालत में इन लोक-सेवकों की सेना बिना वोट मांगे जनता की सेवा करेगी। और राष्ट्र-निर्माण का संदेश देगी। वह समझायेगी कि लोग स्वयं अपना भाग्य अपने हाथ में लें और अपनी इच्छानुसार गढ़ें।

120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस काम के लिए क्या अब कुछ हजार भाई-बहन भी ऐसे नहीं निकलेंगे, जो इतने निःस्वार्थ, इतने साहसी और इतने दूरदर्शी हों कि अपने-आपको इस ऐतिहासिक आंदोलन में खपा दें? नवयुवक अपना हृदय टटोलें। क्या वे आराम की सुखद जिन्दगी ही चाहते हैं? क्या वे सामाजिक और राजनैतिक चढ़ा-ऊपरी की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं? जो इस दौड़ में शामिल हुए हैं, वे आखिर जनता की पीठ पर ही सवार होते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस देश में ऐसे काफी तरुण-तरुणियां हैं, जो एक उदात्त ध्येय के लिए कष्टमय और संकटमय जीवन का आलिंगन करेंगे। हमारे देश का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी आज ऐसी एक अभिनव क्रांति के लिए हमें आह्वान कर रहा है।

इस आह्वान को कौन सुनेगा? कौन आगे कदम बढ़ायेगा? भारत का तरुण नहीं तो और कौन यह जिम्मेदारी निभायेगा? इस देश का अध्यात्म बूढ़ों की वस्तु नहीं, जवानों की वस्तु रही है। जब हृषीकेश ने जीवन के कुरूक्षेत्र में अपूर्व अध्यात्म का पांचजन्य फूंका था, तब वे वृद्ध नहीं युवा थे, और वह थे सारथी भारत की उत्कृष्ट तरुणाई के।जब अपनी प्रिया की गोद में नवजात राहुल को सोया हुआ छोड़ सिद्धार्थ अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक क्रांति के पथ पर चल पड़े थे, तो वे वृद्ध नहीं, युवा थे। अद्वैत के अनन्यतम शोधक शंकर ने जब अपनी दिग्विजय यात्रा की थी, तब वे वृद्ध नहीं, युवा ही थे। विवेकानंद ने शिकागो के रंगमंच पर जब वेदांत के सार्वभौम धर्म का उद्घोष किया था, तब वे वृद्ध नहीं, युवा थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के दावानल में कूदकर जब अध्यात्म का आग्नेय प्रयोग किया था, तब वे वृद्ध नहीं, युवा थे। अध्यात्म बुढ़ापे की बुढ़भस नहीं है, तरुणाई की उतुंगतम उड़ान है।

व्यक्ति समूह के लिए जीये और समूह व्यक्ति के लिए, यह एक दिन में नहीं होगा। कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती। विध्वंस एक दिन में हो सकता है, नवनिर्माण नहीं। इसलिए हमारी यह अभिनव क्रांति आरोहण की एक प्रक्रिया होगी। इस कठिन चढ़ाई में तरुणों को ही आगे आना होगा। *('मेरी विचार-यात्रा' से)*

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) अशोक भारत (प्रकाशक), सुरभि प्रिन्टर्स, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया वाराणसी से मुद्रित तथा सर्व सेवा संघ-परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001, फोन एवं फैक्स नं. 0542-2440385 से प्रकाशित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1600